

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ

विशेष अपील संख्या - 221 वर्ष 2023

के साथ एक अन्य अपील

डॉ. दिनेश कुमार अग्रवाल और अन्य

.....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव (गृह),

उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ और अन्य

.....प्रतिवादी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता: प्रशांत चंद्र (वरिष्ठ अधिवक्ता) के साथ सुश्री मेहा रश्मि, अशोक कुमार सिंह, अनिलेश तिवारी, सिद्धार्थ सिन्हा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी., एच.जी.एस. परिहार (वरिष्ठ अधिवक्ता) के साथ मीनाक्षी सिंह परिहार, दिव्यार्थ सिंह चौहान, गोविंद नारायण शुक्ला, सुशील कुमार सिंह

ए.एफ.आर.

फैसला सुरक्षित : 15.12.2025

फैसला सुनाया गया : 21/01/2026

न्यायालय माननीय मुख्य न्यायाधीश

माननीय मुख्य न्यायाधीश अरुण भंडाली

माननीय न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह

(माननीय न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह द्वारा प्रदत्त)

1. दो परस्पर विरोधी पति-पत्नी ने माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 07.04.2023 को पारित आदेश को चुनौती देते हुए ये दो इंट्रा-कोर्ट अपीलें दायर की हैं, जिसके तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या 9307/2020 में दायर तीन आवेदनों का निस्तारण किया गया था।

2. दोनों पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है और उन्होंने कई याचिकाएं दायर की हैं, जिनका लंबा इतिहास रहा है। विवाद को समझने के लिए, उन तथ्यों पर एक नज़र डालना उचित होगा जिनके कारण ये इंट्रा-कोर्ट अपीलें दायर की गई हैं।

3. इंट्रा-कोर्ट अपील संख्या 221/2023 बंदी के पिता और दादा-दादी द्वारा दायर की गई है, जबकि इंट्रा-कोर्ट अपील संख्या 225/2023 बंदी की माता द्वारा दायर की गई है। सुविधा के लिए, न्यायालय इंट्रा-कोर्ट अपील संख्या 221/2023 के अपीलकर्ताओं को, मामले के अनुसार, 'पिता' या 'दादा-दादी' के रूप में संदर्भित करेगा; प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात् बंदी को 'पुत्र' कहा जाएगा; और प्रतिवादी संख्या 3, जो संबंधित इंट्रा-कोर्ट अपील संख्या 225/2023 की भी अपीलकर्ता है, को 'माता' कहा जाएगा।

4. तथ्य इंट्रा-कोर्ट अपील संख्या 221/2023 से लिए गए हैं; हालांकि, जहां आवश्यक हो, संबंधित इंट्रा-कोर्ट अपील संख्या 225/2023 के प्रासंगिक तथ्यों पर भी ध्यान दिया जाएगा।

5. चूंकि दोनों इंट्रा-कोर्ट अपीलों में शामिल मुद्दा और पक्षकार एक ही हैं, इसलिए दोनों इंट्रा-कोर्ट अपीलों का निर्णय इस एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

6. डॉ. दिनेश कुमार अग्रवाल और श्रीमती दीप्ति गोयल का विवाह 30.06.2017 को हुआ था। उन्हें 03.07.2018 को एक पुत्र हुआ। दोनों पति-पत्नी लंबे समय तक साथ नहीं रह सके क्योंकि उनका वैवाहिक जीवन कटुता और कटु कानूनी कार्यवाही से घिरा हुआ था। पुत्र इस संघर्ष में फंस गया है और पति-पत्नी के बीच की लड़ाई का शिकार है।

7. दोनों अपीलकर्ता सुशिक्षित हैं और अपने-अपने पेशेवर डिग्री धारक हैं। पिता पेशे से डॉक्टर हैं जबकि माता सहायक प्रोफेसर हैं। वैवाहिक विवादों के कारण, माता अपने नाबालिग पुत्र के साथ झारखंड राज्य के धनबाद स्थित अपने ससुराल को छोड़कर लखनऊ में अपने माता-पिता के साथ रहने लगीं। जुलाई 2020 में, पिता अपने बेटे से मिलने लखनऊ आए और लखनऊ में अपने ससुराल वालों के घर पर ठहरे। लखनऊ में रहने के दौरान, आरोप है कि पिता ने अपने बेटे को थोड़ी देर के लिए गाड़ी में घुमाने के बहाने, उसे उसकी माँ की देखरेख और अभिरक्षा से निकालकर धनबाद ले गए और वह भी माँ को बिना बताए।

8. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, माँ ने एफआईआर दर्ज कराई और इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका भी दायर की, जो रिट याचिका संख्या 9307/2020 (उच्च न्यायालय) [मास्टर देवांश अग्रवाल, बंदी, माँ और संरक्षक दीप्ति गोयल और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य] के रूप में पंजीकृत है।

9. रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रहे विद्वान एकल न्यायाधीश ने बंदी को पेश करने का आदेश पारित किया था, हालांकि, यह आदेश पिता को

सूचित नहीं किया जा सका। इसी बीच, पिता ने धनबाद में दो याचिकाएं दायर कीं, एक हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (संक्षेप में, '1955 का अधिनियम') की धारा 9 के तहत, जिसे मुकदमा संख्या 333/2020 के रूप में पंजीकृत किया गया और दूसरी याचिका अभिभावक और आश्रित अधिनियम, 1890 के तहत, जिसे मुकदमा संख्या 385/2020 के रूप में पंजीकृत किया गया।

10. इस स्तर पर, माता ने पिता द्वारा धनबाद में दायर किए गए दो मुकदमों को लखनऊ स्थानांतरित करने की याचिका दायर करके सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। माता ने लखनऊ में 1955 के अधिनियम की धारा 13 के तहत एक मुकदमा और भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए, 336, 506 तथा दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3/4 के तहत एक एफआईआर भी दायर की।

11. बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश ने पाया कि बंदी को पेश करने के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा था, इसलिए उन्होंने संबंधित पुलिस को बंदी को न्यायालय के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया और 05.01.2022 की तिथि निर्धारित की। उक्त तिथि को, विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष, शासकीय अधिवक्ता ने सूचित किया कि बंदी और पिता, पिता द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक याचिका के संबंध में नई दिल्ली में थे, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 14.12.2021 को पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। हालांकि, पिता की उक्त विशेष अनुमति याचिका 05.01.2022 को खारिज कर दी गई थी और सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें लखनऊ में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर पेश होने का निर्देश दिया था। उक्त जानकारी के आधार पर, माननीय एकल न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई अगले दिन यानी 06.01.2022 को तय की।

12. उक्त तिथि को पिता, बंदी सहित, माननीय एकल न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित हुए, जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.01.2022 को पारित आदेश सहित पूर्व के आदेशों पर ध्यान देते हुए, बंदी अर्थात् पुत्र की अभिरक्षा माता को सौंपने का निर्देश दिया और उसके बाद पिता के मुलाकात के अधिकारों संबंधी निवेदन पर विचार करते हुए एक विस्तृत आदेश पारित किया, जो इस प्रकार है:-

"पुकारा गया।

आज दिनांक 06.01.2022 को, सब इंस्पेक्टर श्री दुर्गा प्रसाद यादव, पीएनओ 930440020 और महिला कांस्टेबल सुश्री अंतिमा सिंह, पीएनओ 112304472, पुलिस स्टेशन, जिला लखनऊ, दिनांक 14.12.2021 के निर्णय और आदेश तथा उसके बाद

दिनांक 21.12.2021 के आदेश के अनुपालन में, बच्चे मास्टर देवांश अग्रवाल और उसके पिता डॉ. दिनेश अग्रवाल को न्यायालय में पेश करने के लिए न्यायालय में उपस्थित हुए।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.01.2022 को विशेष अनुमति अपील (आपराधिक) संख्या 10080/2021 (डॉ. दिनेश अग्रवाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में पारित आदेश के अनुपालन में, जिसमें दोपहर 2:00 बजे बच्चे को माता को सौंपने का निर्देश दिया गया था, बच्चे को आज माता श्रीमती दीप्ति गोयल को सौंप दिया गया है।

पिता डॉ. दिनेश अग्रवाल, निजी विपक्षी संख्या 3 और मास्टर देवांश अग्रवाल की संरक्षक माता, श्रीमती दीप्ति गोयल, दोनों ने बच्चे को माता को सौंपने और याचिकाकर्ता की संरक्षक यानी माता द्वारा बच्चे को प्राप्त करने के संबंध में आदेश पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।

दिनांक 14.12.2021 के आदेश में, पिता के मिलने के अधिकार को प्रतिवादी संख्या 3, डॉ. दिनेश अग्रवाल द्वारा याचिकाकर्ता की संरक्षक, श्रीमती दीप्ति गोयल को बच्चे को सौंपने पर निर्भर रखा गया था। अतः, यह आदेश पारित करने का अवसर है कि बच्चे के पिता को उससे मिलने का अधिकार दिया जाए।

(i) विपक्षी पार्टी संख्या 3, डॉ. दिनेश अग्रवाल, बच्चे के पिता मास्टर देवांश अग्रवाल से बातचीत करने पर, उनके अनुरोध पर, प्रत्येक सप्ताहांत (रविवार) को याचिकाकर्ता की संरक्षक श्रीमती दीप्ति गोयल के निवास स्थान, बी-47, सेक्टर-एच, अलीगंज, जिला लखनऊ में बच्चे से मिलने जाएंगे, जहाँ याचिकाकर्ता की संरक्षक, श्रीमती दीप्ति गोयल बच्चे के साथ रहती हैं।

(ii) यदि किसी कारणवश विपक्षी संख्या 3 डॉ. दिनेश अग्रवाल रविवार को बच्चे से मिलने में असमर्थ रहते हैं, तो वे याचिकाकर्ता की संरक्षक श्रीमती दीप्ति गोयल को रविवार के बाद अगले दिन की सूचना एक या दो दिन के भीतर देकर, उस बदले हुए दिन बच्चे से मिल सकते हैं।

(iii) पारस्परिक रूप से, याचिकाकर्ता की संरक्षक, मास्टर देवांश की माता, पिता को दिए गए मुलाकात के अधिकार के संबंध में निर्देश का पालन करने के लिए या उपरोक्त निर्धारित किसी अन्य तिथि पर, मकान संख्या बी-47, सेक्टर-एच, अलीगंज, जिला लखनऊ में उपस्थित रहेंगी। माता न्यायालय की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना और बच्चे के पिता, विपक्षी पक्ष संख्या 3 को सूचित किए बिना बच्चे के साथ अपना निवास स्थान नहीं छोड़ेंगी या नहीं बदलेंगी। वह उपरोक्त निर्देशानुसार पूर्व अनुमति के बिना बच्चे मास्टर देवांश के साथ न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं जाएंगी।

(iv) पिता, विपक्षी पक्ष संख्या 3 को याचिकाकर्ता की माता या उनके मायके के किसी अन्य परिवार के सदस्य की उपस्थिति में, उनकी देखरेख और नियंत्रण में, दिन के समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच बच्चे मास्टर देवांश से मिलने का अधिकार होगा, हालांकि उन्हें पिता द्वारा बच्चे से मिलने में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने की अनुमति नहीं है।

(v) विपक्षी पक्ष संख्या 3, मास्टर देवांश के पिता को अपने पुत्र मास्टर देवांश से ऑडियो या वीडियो माध्यम से टेलीफोन पर संपर्क करने का अधिकार होगा। इसके लिए माता

बच्चे के पिता से टेलीफोन पर संपर्क कराने में सहायता करेंगी। बच्चे से टेलीफोन पर बातचीत के लिए माता-पिता दोनों के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करना उचित होगा।

(vi) यदि पिता बच्चे को स्नेहपूर्वक कोई उपहार देना चाहें, उसके उपयोग के लिए कोई वस्तु लाएं या बच्चे के कल्याण के लिए कोई आवश्यक कार्य करें, तो माता, याचिकाकर्ता की संरक्षक या उसके मायके के परिवार का कोई भी सदस्य ऐसे कार्यों में कोई रोक या बाधा नहीं डालेगा। हालांकि, पिता को यह ध्यान रखना होगा कि बच्चे द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुएं सुरक्षित हों।

(vii) चूंकि बच्चा अभी बहुत छोटा है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित टीकाकरण के अंतर्गत आता है, इसलिए टीकाकरण का रिकॉर्ड और आगे के टीकाकरण संबंधी जानकारी पिता डॉ. दिनेश अग्रवाल द्वारा माता श्रीमती दीप्ति गोयल को आदेश की तिथि से 15 दिनों के भीतर यथाशीघ्र सौंप दी जानी चाहिए, ताकि आगे का टीकाकरण, यदि आवश्यक हो, तो माता को समय पर और बिना किसी चूक के दिया जा सके।

(viii) पिता का यह कर्तव्य होगा कि जब भी वह बच्चे से मिलने जाए, तो सुरक्षित दूरी बनाए रखे, मास्क पहने, हाथों को सैनिटाइज करे और कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन करे।

(ix) यह अपेक्षा की जाती है कि पिता अब तक दो बार टीका लगवा चुके हैं। यदि ऐसा नहीं है, तो वे यथाशीघ्र दो बार टीका लगवाना सुनिश्चित करेंगे। माता को भी दो बार टीका लगवाना होगा।

(x) यदि पिता को कोविड-19 का टीका दो बार लग चुका है, तो मिलने के दौरान सुरक्षित दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने की शर्त का पालन करना आवश्यक नहीं है।

सक्षम न्यायालय में वैवाहिक याचिका लंबित होने के मद्देनजर, विपक्षी पक्ष संख्या 3 द्वारा याचिकाकर्ता की संरक्षक, यानी बच्चे की मां के घर में बच्चे से मिलने के दौरान रात्रि प्रवास के संबंध में किया गया अनुरोध स्वीकार्य नहीं है। हालांकि, यह उनके बीच कानूनी कार्यवाही में होने वाली संभावित मध्यस्थता के परिणाम के अधीन होगा।

13. पिता ने 06.01.2022 के मुलाकात आदेश के अनुपालन में कई बार लखनऊ का दौरा किया, लेकिन उनकी शिकायत है कि माँ ने पिता को अपने बेटे से मिलने देने में सहयोग नहीं किया और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपने आदेश में विस्तृत निर्देश दिए जाने के बावजूद, मुलाकात आदेश की भावना और आशय को विफल करने के प्रयास किए गए।

14. माता द्वारा मुलाकात आदेश में सहयोग न करने और कथित तौर पर बाधा उत्पन्न करने के रवैये से पिता व्यथित होकर, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या 353/2022 दायर की।

15. इस न्यायालय के एक अन्य विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 20.10.2022 को उपरोक्त बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या 353/2022 में पारित निर्णय और आदेश के माध्यम से पिता द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। दिनांक 20.10.2022 का आदेश निम्नानुसार है:-

"हमने याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री मेहा रश्मी की सहायता से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रशांत चंद्र, प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से उपस्थित श्री एस.के. सिंह, तथा प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की ओर से उपस्थित सहायक शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और अभिलेखों का अवलोकन किया।

यह याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर की गई है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने का अनुरोध किया गया है और निम्नलिखित प्रार्थनाएँ की गई हैं:-

"क) बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट या बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति का कोई रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता को इस माननीय न्यायालय में स्वयं उपस्थित करने का निर्देश दिया जाए ताकि उसे तत्काल रिहा किया जा सके और प्रतिवादी संख्या 3 से 7 की अभिरक्षा से मुक्त किया जा सके।

ख) प्रतिवादियों संख्या 3 से 7 को निर्देश दिया जाए कि याचिकाकर्ता और उसके पिता के बीच हुई बैठक की वीडियो रिकॉर्डिंग करना तत्काल बंद करने और पिछली बैठकों की सभी रिकॉर्डिंग की मूल प्रतियां इस माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने तथा इस संबंध में अनुपालन का हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया जाए;

ग) मामले की परिस्थितियों में इस माननीय न्यायालय द्वारा उचित और आवश्यक समझे जाने वाले किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश को भी पारित किया जाए।"

याचिकाकर्ता (संरक्षक/पिता) डॉ. दिनेश अग्रवाल की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रशांत चंद्र ने प्रस्तुत किया कि बंदी याचिकाकर्ता का पुत्र है और उसे प्रतिवादी संख्या 3 से 7 द्वारा अवैध रूप से अभिरक्षा में रखा गया है और याचिकाकर्ता की अभिरक्षा प्रतिवादी संख्या 3 (माता) के पास सुरक्षित नहीं है क्योंकि वह याचिकाकर्ता की उचित देखभाल और ध्यान नहीं दे रही है। लगभग 4 वर्ष 3 माह आयु का याचिकाकर्ता स्वयं की देखभाल करने में सक्षम नहीं है और प्रतिवादी संख्या 3 से 7 द्वारा दुर्व्यवहार और उपेक्षा का शिकार है।

आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा के संबंध में सर्वोपरि विचार नाबालिग का कल्याण है। इस संबंध में विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने गौरव नागपाल बनाम सुमेधा नागपाल (2009) 1 सुप्रीम कोर्ट केस 42 की रिपोर्ट के पैराग्राफ संख्या 34 का हवाला देते हुए तर्क दिया कि उक्त कार्यवाही का प्राथमिक उद्देश्य बच्चे का कल्याण सुनिश्चित करना है और ऐसा करने के लिए माता-पिता सहित सभी के कानूनी अधिकारों की अनदेखी की जा सकती है।

विभिन्न तस्वीरों और पक्षों के बीच आदान-प्रदान किए गए व्हाट्सएप संदेशों का हवाला देते हुए, यह निवेदन किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 3 से 7, रिट याचिका संख्या 9307 (एच/सी) 2020 में दिनांक 6.1.2022 को पारित इस न्यायालय के आदेश का, पिता डॉ. दिनेश अग्रवाल को दिए गए मुलाकात के अधिकारों के संबंध में, अक्षरशः और भावनापूर्वक पालन नहीं कर रहे हैं।

यह भी निवेदन किया जाता है कि यद्यपि इस न्यायालय के आदेशों के तहत बंदी की अभिरक्षा प्रतिवादी संख्या 3 को सौंपी गई है, लेकिन परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण बंदी-बच्चे के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 14.12.2021 के आदेश में हस्तक्षेप किया जा सकता है।

यह भी निवेदन किया जाता है कि चूंकि प्रतिवादी संख्या 3 के हाथों बंदी का पालन-पोषण ठीक से नहीं हो रहा है, इसलिए अंतरिम उपाय के रूप में बंदी को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने और उसे उसके संरक्षक/पिता की अभिरक्षा में सौंपने का निर्देश दिया जाए। अपने तर्कों को पुष्ट करने के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने रिपोर्ट (1973) 1 एससीसी 840 रोजी जैकब बनाम जैकब ए. चक्रमक्कल के पैराग्राफ 18 पर भरोसा किया था।

दूसरी ओर प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से उपस्थित श्री सुशील कुमार सिंह ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिका संख्या 9307 (एच/सी) 2020 में, दिनांक 14.12.2021 के आदेश द्वारा पिता/संरक्षक को बच्चे की अभिरक्षा प्रतिवादी संख्या 3 (माता) को सौंपने के उद्देश्य से बच्चे को न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था और इस आदेश के विरुद्ध पिता/संरक्षक ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (क्रिमिनल) संख्या 10080/2021 दायर की थी, हालांकि, दिनांक 5.1.2022 के आदेश द्वारा विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी गई और संरक्षक/पिता को बच्चे को माता को सौंपने का निर्देश दिया गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बच्चे की अभिरक्षा माता/प्रतिवादी संख्या 3 को दी गई। इस प्रकार, इस न्यायालय का दिनांक 14.12.2021 का आदेश, जिसके द्वारा बच्चे/बंदी की अभिरक्षा माता/प्रतिवादी संख्या 3 को सौंपने का निर्देश दिया गया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था और जहां तक बच्चे की अभिरक्षा का मुद्दा है, इसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाप्त कर दिया गया है और बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करके कार्यवाही को पुनः आरंभ करके इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने आगे कहा कि अपील संख्या 586/2021 की विशेष सुनवाई में दिनांक 25.1.2021 को पारित आदेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को मध्यस्थता के लिए भी संदर्भित किया है।

यह भी निवेदन किया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 14.11.2021 के आदेश को वापस लेने के लिए एक आवेदन भी दायर किया गया था।

यह भी निवेदन किया जाता है कि उपर्युक्त रिट याचिका, जिसमें बंदी की अभिरक्षा माता/प्रतिवादी संख्या 3 को सौंपी गई थी, अभी भी लंबित है और आज भी इसे उपर्युक्त न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है, और याचिकाकर्ता के लिए इस याचिका को दायर करने की न तो कोई आवश्यकता थी और न ही कोई अवसर था।

पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, यह स्पष्ट है कि रिट याचिका संख्या 9307 (एच/सी) 2020 प्रारंभ में बंदी की ओर से उसकी माता, श्रीमती दीप्ति गोयल द्वारा दायर की गई थी और इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने दिनांक 14.12.2021 के आदेश द्वारा, दोनों

पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद, विस्तृत निर्णय लिखकर यह निर्देश दिया था कि माता/प्रतिवादी संख्या 3 बच्चे की अभिरक्षा की हकदार है और बच्चे की अभिरक्षा, जो उस समय तक पिता (याचिकाकर्ता) के पास थी, माता/प्रतिवादी संख्या 3 को दी जाए। इसके लिए बच्चे को दिनांक 20.12.2021 को दोपहर 2.00 बजे न्यायालय में पेश करने का निर्देश दिया गया था। इस आदेश को याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय में एक एस.एल.पी. (आपराधिक याचिका) दायर करके चुनौती दी थी और एस.एल.पी. (आपराधिक) संख्या 10080/2021 को खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 5.1.2022 के आदेश द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और एस.एल.पी. को खारिज कर दिया। 6.1.2022 को दोपहर 2.00 बजे बच्चे को माता को सौंपने का निर्देश दिया गया था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इसी आदेश के अनुपालन में बच्चे की अभिरक्षा माता/प्रतिवादी संख्या 3 को सौंप दी गई थी। इस प्रकार, बच्चे की अभिरक्षा से संबंधित विवाद का माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. (क्रिमिनल) संख्या 10080/2021 में दिनांक 5.1.2022 को पारित आदेश द्वारा अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया गया था और इस न्यायालय की राय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करके इसे दोबारा नहीं उठाया जा सकता।

अब याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अगले तर्क पर आते हैं कि याचिकाकर्ता को दिए गए मुलाकात के अधिकारों से संबंधित इस न्यायालय के दिनांक 6.1.2022 के आदेश का अक्षरशः पालन नहीं किया जा रहा है और इस संबंध में विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान पक्षों के बीच आदान-प्रदान की गई विभिन्न तस्वीरों और व्हाट्सएप संदेशों की ओर आकर्षित किया है। यह स्पष्ट है कि रिट याचिका संख्या 9307 (एच/सी) 2020, जिसमें बाल बंदी की अभिरक्षा के हस्तांतरण का आदेश पारित किया गया था और दिनांक 6.1.2022 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को मुलाकात के अधिकार भी दिए गए थे, अभी भी इस न्यायालय के समक्ष लंबित है और इस संबंध में प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.के. सिंह द्वारा दिनांक 30.8.2022 का एक आदेश इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिससे पता चलता है कि याचिका पर समन्वय पीठ द्वारा आंशिक सुनवाई भी की गई है।

पक्षों ने यह भी स्वीकार किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के विरुद्ध अवमानना याचिका भी दायर की गई है।

अतः, इस न्यायालय के विचार में, यदि किसी पक्ष को रिट याचिका संख्या 9307 (एच/सी) 2020 में दिनांक 6.1.2022 को पारित आदेश के अनुपालन न होने से संबंधित कोई शिकायत है, जो अभी भी लंबित है, तो उसे केवल इसी रिट याचिका में उठाया जा सकता है और दूसरी रिट याचिका दायर करके नहीं उठाया जा सकता, विशेषकर रिट याचिका संख्या 9307 (एच/सी) 2020 के लंबित रहते हुए।

अतः, उपरोक्त कारणों से और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा रिट याचिका संख्या 9307 (एच/सी) 2020 में पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए, जो अभी भी लंबित है, इस न्यायालय के विचार

में, याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई प्रार्थनाओं के संबंध में, यह रिट याचिका विचारणीय नहीं है और इसे इसी प्रकार खारिज किया जाता है।

हालांकि, इस रिट याचिका का खारिज होना याचिकाकर्ता को दिनांक 06.01.2022 के आदेश के अनुपालन या उसमें संशोधन के लिए या बंदी की अभिरक्षा के अपने अधिकार को स्थापित करने के उद्देश्य से रिट याचिका संख्या 9307 (एच/सी) 2020 में कोई भी आवेदन दाखिल करके इस न्यायालय में आने से नहीं रोकेगी, जो अभी भी लंबित है, या किसी अन्य मंच पर बंदी की अभिरक्षा के अपने अधिकार को स्थापित करने के लिए, जैसा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या 9307/2020 में दिनांक 14.12.2021 को पारित निर्णय के पैरा संख्या 85 में प्रावधान है।

16. इसके बाद पिता ने माता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या 9307/2020 में दिनांक 06.01.2022 को पारित आदेश के उल्लंघन और जानबूझकर अवज्ञा का आरोप लगाते हुए अवमानना आवेदन (सिविल) संख्या 1214/2022 दायर किया। उक्त अवमानना आवेदन को अवमानना न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया और अभिलेख से आगे यह भी पता चलता है कि माता और पुत्र को भी अवमानना न्यायालय के समक्ष बुलाया गया था, हालांकि अवमानना कार्यवाही में कुछ खास प्रगति नहीं हुई, सिवाय इसके कि माता ने अवमानना न्यायालय के समक्ष आश्वासन दिया कि वह 6 जनवरी 2022 के मुलाकात आदेश के अनुसार पिता और पुत्र की सौहार्दपूर्ण मुलाकात कराने में सहायता करेंगी।

17. फिर भी, अवमानना न्यायालय द्वारा मुलाकात आदेश के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के प्रयासों के बावजूद, पति-पत्नी के बीच की खाई को पाटा नहीं जा सका। अंततः, अवमानना न्यायालय ने अपने विस्तृत आदेश दिनांक 27 अगस्त 2025 द्वारा अवमानना आवेदन को खारिज कर दिया और उक्त आदेश का प्रासंगिक भाग नीचे दिया गया है:-

"6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक, जो धनबाद में अपना अस्पताल चलाते हैं, एक प्रसिद्ध स्पाइन सर्जन हैं और बच्चे को अपने बेहतर विकास और भौतिक सुख-सुविधाओं के लिए अपने पिता से विशेषाधिकार प्राप्त करने का अधिकार है। दूसरी ओर, प्रतिवादी बेरोजगार और आश्रित महिला हैं।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी सुझाव दिया कि यदि प्रतिवादी रिट न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो न्यायालय, अभिभावकीय अधिकार क्षेत्र के तहत, बच्चे को बोर्डिंग स्कूल भेजने का आदेश पारित कर सकता है, जहाँ उसकी उचित देखभाल की जाएगी, उसका पालन-पोषण होगा और उसे अपनी उम्र के बच्चों के साथ घुलने-मिलने का अवसर मिलेगा।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि न्यायालय होने के नाते, भारत के संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग

किया जा सकता है और नाबालिग बच्चे को बोर्डिंग स्कूल भेजा जा सकता है, बशर्ते कि अवकाश की अवधि को उसके माता-पिता के साथ समान रूप से विभाजित करने के लिए उचित और आवश्यक व्यवस्था की जाए।

बोर्डिंग स्कूलों की सूची देते हुए श्री चंद्र ने यह बताया है कि आवेदक बोर्डिंग स्कूल के सभी खर्चों को वहन करने के लिए तैयार है।

7. इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत शीर्ष बोर्डिंग विद्यालयों की सूची इस प्रकार है:-

क्र म सं ख्या	विद्यालय	पता	बोर्ड	कक्षा	लिंग
1.	दून इंटरनेशनल स्कूल (रिवरसाइड कैंपस)	यूनिवर्सिटी नंदा की चौकी, पेट्रोलियम पोंढा से 4 किमी दूर, देहरादून, उत्तराखंड 248007	सीबीएसई	प्रथम से बारहवीं कक्षा	सह- शिक्षा
2.	गंगा इंटरनेशनल स्कूल	रोहतक रोड, हिरन कुडना, नई दिल्ली, दिल्ली 110041	सीबीएसई	प्रथम से बारहवीं कक्षा	सह- शिक्षा
3.	रूट्स कंट्री स्कूल	ट्रिमाउंट व्यू, डाकघर बाघी, तेह, कोटखाई, हिमाचल प्रदेश, 171225	सीबीएसई	पहली से 12वीं तक	सह- शिक्षा
4.	जीडी गोयनका इंटरनेशनल स्कूल, रोहतक	8वां माइल स्टोन, सोनीपत रोड, रोहतक, 124001, हरियाणा	सीबीएसई	पहली से 12वीं तक	सह- शिक्षा
5.	पाइनग्रोव स्कूल	कसौली रोड, धरमपुर, हिमाचल प्रदेश- 173209	सीबीएसई	पहली से 12वीं तक	सह- शिक्षा
6.	न्यू एरा पब्लिक स्कूल	चेसन रोड, पंचगिनी सतारा जिला, महाराष्ट्र-412805	सीबीएसई	पहली से 12वीं तक	सह- शिक्षा
7.	बिरला पब्लिक स्कूल, पिलानी	विद्या निकेतन बिड़ला पब्लिक स्कूल, पिलानी राजस्थान, 333031	सीबीएसई	पहली से 12वीं तक	सह- शिक्षा

8.	एमराल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल	ए.बी. रोड, राउ, आकाशवाणी के सामने, इंदौर, मध्य प्रदेश, 453331	सीबीएसई	पहली से 12वीं तक	सह-शिक्षा
9.	द एशियन स्कूल	एशियन एकर्स, वसंत विहार, इंदिरा नगर कॉलोनी, देहरादून, उत्तराखंड, 248006	सीबीएसई	पहली से 12वीं तक	सह-शिक्षा
10.	विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल	जाफरपुर माजरा, घरोरा, ग्रेटर, मंझावली रोड, तिगांव, हरियाणा, 121101	सीबीएसई	पहली से 12वीं तक	सह-शिक्षा

* * *

15. रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर यह भी स्पष्ट है कि दिनांक 14.12.2021 के आदेश को आवेदक द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका संख्या 10080/2021 में चुनौती दी गई थी, जिसे 05.01.2022 को खारिज कर दिया गया था और पिता को 06.01.2022 को दोपहर 2:00 बजे बच्चे को माता को सौंपने का निर्देश दिया गया था। विशेष अनुमति याचिका संख्या 10080/2021 में दिनांक 05.01.2022 को पारित आदेश इस प्रकार है:-

"हम उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। तदनुसार, विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निस्तारित कर दिए जाएंगे।

हालांकि, याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह कल यानी 06.01.2022 को दोपहर 2.00 बजे बच्चे को प्रतिवादी संख्या 4 को सौंप दे।"

16. स्पष्ट रूप से, बच्चे को 06.01.2022 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और पिता को मुलाकात का अधिकार देते हुए उसे माता को सौंप दिया गया। इसके बाद, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में पारित आदेशों को आवेदक और प्रतिवादी दोनों ने विशेष अपील संख्या 221/2023 (डॉ. दिनेश कुमार अग्रवाल और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) और विशेष अपील संख्या 225/2023 (मास्टर देवांश अग्रवाल (बंदी), उनकी माता श्रीमती दीप्ति गोयल के माध्यम से और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में चुनौती दी। यह निर्विवाद है कि ये विशेष अपीलें डिवीजन बेंच के समक्ष लंबित हैं।

विशेष अपील संख्या 221/2023 और विशेष अपील संख्या 225/2023 में पक्षकारों की सहमति से खंडपीठ द्वारा दिनांक 27.03.2025 को पारित आदेश इस प्रकार है:-

"1. दोनों पक्षकार उपस्थित हैं और उनका प्रतिनिधित्व उनके संबंधित अधिवक्ताओं द्वारा किया जा रहा है।

2. इस न्यायालय द्वारा दिनांक 6.7.2023 को पारित आदेश का क्रियात्मक भाग, जो पक्षकारों के बीच प्रभावी है, इस प्रकार है:-

“मुकदमा अब 27.07.2023 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होगा।

अगली सुनवाई की तारीख पर अपीलकर्ता संख्या 1/डॉ. दिनेश कुमार अग्रवाल और प्रतिवादी संख्या 3/श्रीमती दीप्ति अग्रवाल न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे।

इस बीच, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या 9303/2020 में दिनांक 06.01.2022 को पारित आदेश के अनुसार मुलाकात की व्यवस्था अगली सुनवाई की तारीख तक जारी रहेगी।

हालाँकि, हम यह प्रावधान करते हैं कि जब पिता अपने ससुराल में बच्चे से मिलने जाए, तो वह अपने साथ उपहार, खाद्य पदार्थ या फल ला सकता है, जबकि बच्चे की माँ भी आवश्यक भोजन उपलब्ध करा सकती है।

हम यह भी प्रावधान करते हैं कि मुलाकात की अवधि पाँच घंटे होगी।

हम बच्चे की माँ से अनुरोध करते हैं कि वह पिता के बच्चे से मिलने के दौरान यथासंभव उपस्थित रहने का प्रयास करे।

हम बच्चे के माता-पिता से अनुरोध करते हैं कि वे मुलाकात के दौरान सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने का प्रयास करें।

3. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनने के बाद, जो स्वयं उपस्थित थे, हम दिनांक 6.7.2023 के आदेश के प्रभावी भाग में संशोधन करते हुए, पाँच घंटे तक सीमित मुलाकात की अवधि को बढ़ाकर दस घंटे करते हैं। यह अवधि मुलाकात के दिन सुबह 10 बजे से शुरू होकर रात 8 बजे तक रहेगी। इस दौरान, पत्नी दीप्ति अग्रवाल अपने पति के साथ अच्छा व्यवहार करेंगी और उन्हें विनम्रतापूर्वक आतिथ्य प्रदान करेंगी। पिता को किसी भी रिश्तेदार के हस्तक्षेप के बिना बच्चे से मिलने की स्वतंत्रता होगी। पिता बच्चे और परिवार के सदस्यों के प्रति गरिमापूर्ण व्यवहार बनाए रखेंगे। मुलाकात की अवधि के दौरान परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा कोई बाधा उत्पन्न नहीं की जाएगी और पिता के आने-जाने के समय सुगम वातावरण बनाए रखा जाएगा। दिनांक 6.7.2023 के आदेश में निर्धारित अन्य शर्तें इस न्यायालय के अगले आदेश तक यथावत रहेंगी।

4. यह आदेश दोनों पक्षों की आपसी सहमति से पारित किया गया है।

5. दिनांक 29.4.2025 को सूचीबद्ध/प्रस्तुत किया जाए।

17. उपरोक्त तथ्यों और चर्चाओं के साथ-साथ इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विवाद का निस्तारण डिवीजन बेंच द्वारा किया जा रहा है और दिनांक 27.03.2025 (उपरोक्त) का अंतरिम आदेश लंबित विशेष अपीलों, अर्थात् विशेष अपील संख्या 221/2023 (डॉ. दिनेश कुमार अग्रवाल और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) और विशेष अपील संख्या 225/2023 (मास्टर देवांश अग्रवाल (बंदी), उनकी माता श्रीमती दीप्ति गोयल के माध्यम से और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में पक्षों की आपसी सहमति से पारित किया गया था, इस न्यायालय का यह मत है कि

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णय वर्तमान मामले में लागू नहीं होते हैं, इसलिए अवमानना का कोई मामला नहीं बनता है। तदनुसार, अवमानना आवेदन, गलत होने के कारण, खारिज किया जाता है।

18. पिता ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना कार्यवाही में पारित दिनांक 27.08.2025 के आदेश को पुनः चुनौती दी। यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि जब उपरोक्त कार्यवाही विभिन्न मंचों पर चल रही थी, तब पिता ने 07.03.2022 को **आईए संख्या 14/2022** के तहत एक आवेदन दायर किया था, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या 9307/2020 में दिनांक 14.12.2021 और 06.01.2022 को पारित आदेशों को वापस लेने की मांग की गई थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि माता ने भी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या 9307/2020 में दिनांक 06.01.2022 के आदेश में संशोधन की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था, जिसका क्रमांक **आईए संख्या 15/2022** था।

19. जब बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या 9307/2020 में ये दोनों आवेदन लंबित थे, तब पिता ने 02.12.2022 को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या 9307/2020 में एक और **आवेदन आईए संख्या 25/2022** दायर किया, जिसमें दिनांक 14.12.2021 और 06.01.2022 के आदेशों में संशोधन की मांग की गई थी।

20. ये तीन आवेदन (पिता द्वारा दायर किए गए दो आवेदन, अर्थात् **आवेदन आईए संख्या 14/2022** और **आवेदन आईए संख्या 25/2022**, और माता द्वारा दायर किया गया एक **आवेदन आईए संख्या 15/2022**) ही विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष विचार के लिए आए, जिन्होंने दिनांक 07.04.2023 के अपने आदेश द्वारा उक्त तीनों आवेदनों का निर्णय किया। परिणामस्वरूप, दिनांक 06.01.2022 के पूर्व विस्तृत मुलाकात आदेश में कुछ संशोधन किए गए, जो नीचे दिए गए हैं:-

"24. वर्तमान मामले में, बंदी अपनी माता के साथ रह रहा है, जैसा कि इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने दिनांक 06.01.2022 के आदेश द्वारा निर्देशित किया है। नाबालिग पुत्र मास्टर देवांश अग्रवाल की अभिरक्षा माता के पास रहेगी, लेकिन पक्षकार अभिभावक और आश्रित अधिनियम के तहत या कानून के अनुसार किसी अन्य मंच के समक्ष उचित आवेदन दाखिल करके नाबालिग पुत्र मास्टर देवांश अग्रवाल की अभिरक्षा के लिए अपने अनन्य अधिकार प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे।"

इसके अलावा, न्याय के हित में और पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए, दिनांक 14.12.2021 और 06.01.2022 के आदेशों को निम्नलिखित सीमा तक संशोधित किया जाता है:

1. ग्रीष्म ऋतु (अप्रैल से सितंबर) के दौरान: डॉ. दिनेश अग्रवाल, बंदी मास्टर देवांश अग्रवाल के पिता, जैसा कि सहमति हुई थी, को बंदी की माता श्रीमती दीप्ति गोयल के निवास स्थान, मकान संख्या बी-47, सेक्टर-एच, अलीगंज, जिला लखनऊ में बच्चे मास्टर देवांश से मिलने का अधिकार होगा, जहां वह 09.04.2023 से आगे बंदी की माता, श्रीमती दीप्ति गोयल या उनके मायके के किसी अन्य परिवार के सदस्य की उपस्थिति में, उनकी देखरेख और नियंत्रण में बच्चे के साथ प्रत्येक माह के रविवार को सुबह 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक रहती थीं, हालांकि, उन्हें पिता द्वारा बच्चे से मिलने में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने की अनुमति नहीं है।

इसके अलावा, उसी दिन, बंदी मास्टर देवांश अग्रवाल के पिता डॉ. दिनेश अग्रवाल को शाम 5:00 बजे से 7:30 बजे के बीच पड़ोस के पार्क यानी विज्ञान केंद्र, अलीगंज, लखनऊ में मास्टर देवांश अग्रवाल से मिलने का अधिकार होगा। यह मुलाकात बंदी की माता/उनकी संरक्षक श्रीमती दीप्ति गोयल या उनके मायके के किसी अन्य परिवार के सदस्य की उपस्थिति में, उनकी देखरेख और नियंत्रण में होगी। हालांकि, उन्हें पिता द्वारा बच्चे से मिलने में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने की अनुमति नहीं है और रात 8:00 बजे से पहले नाबालिग बच्चे को बंदी की माता/उनकी संरक्षक श्रीमती दीप्ति गोयल के निवास स्थान पर सुरक्षित रूप से सौंप दिया जाना चाहिए, जैसा कि पिता-प्रतिवादी संख्या 3 डॉ. दिनेश अग्रवाल द्वारा ऊपर उल्लेख किया गया है।

2. शीत ऋतु के दौरान (अक्टूबर से मार्च): डॉ. दिनेश अग्रवाल, बंदी मास्टर देवांश अग्रवाल के पिता, को प्रत्येक माह के रविवार को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे के बीच पड़ोस के पार्क, अर्थात् विज्ञान केंद्र, अलीगंज, लखनऊ में मास्टर देवांश अग्रवाल से मिलने का अधिकार होगा। यह मुलाकात बंदी की माता/उनकी संरक्षक, श्रीमती दीप्ति गोयल या उनके मायके के किसी अन्य परिवार के सदस्य की उपस्थिति में, उनकी देखरेख और नियंत्रण में होगी। हालांकि, उन्हें पिता द्वारा बच्चे से मिलने में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने की अनुमति नहीं है और दोपहर 1:30 बजे से पहले नाबालिग बच्चे को उपर्युक्त पते पर बंदी की माता/उनकी संरक्षक श्रीमती दीप्ति गोयल की सुरक्षित अभिरक्षा में सौंप दिया जाना चाहिए।

इसके अलावा, उसी दिन बंदी मास्टर देवांश अग्रवाल के पिता डॉ. दिनेश अग्रवाल को श्रीमती दीप्ति गोयल के निवास स्थान, मकान संख्या बी-47, सेक्टर-एच, अलीगंज, जिला लखनऊ में बच्चे मास्टर देवांश से मिलने का अधिकार होगा, जहां वह प्रत्येक माह के रविवार को शाम 5:00 बजे से 7:30 बजे के बीच बच्चे के साथ रहती थीं। यह मुलाकात बंदी की माता/उनकी संरक्षक या उनके मायके के किसी अन्य सदस्य की उपस्थिति में, उनकी देखरेख और नियंत्रण में होगी। हालांकि, उन्हें पिता द्वारा बच्चे से मिलने में किसी भी प्रकार की बाधा डालने की अनुमति नहीं है।

3. बंदी (मास्टर देवांश अग्रवाल) के दादा-दादी और डॉ. दिनेश अग्रवाल, जो बंदी के पिता हैं, को भी प्रत्येक माह के चौथे रविवार (जनवरी से दिसंबर) को याचिकाकर्ता की संरक्षक/माता श्रीमती दीप्ति गोयल के घर के 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित किसी भी मानक होटल/शॉपिंग मॉल/रेस्तरां में बंदी से मिलने की

अनुमति दी जाती है। यह मुलाकात जलपान और भ्रमण के लिए तथा बच्चे की सामाजिक और मानसिक क्षमता के विकास के लिए सुबह 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे के बीच पहली मुलाकात के लिए और शाम 5.00 बजे से 7.30 बजे के बीच दूसरी मुलाकात के लिए निर्धारित है। नाबालिग बच्चे को याचिकाकर्ता की संरक्षक/माता श्रीमती दीप्ति गोयल के निवास स्थान, मकान संख्या बी-47, सेक्टर-एच, अलीगंज, जिला लखनऊ में सुरक्षित रूप से सौंप दिया जाए। यह सौंपना पहली मुलाकात के बाद दोपहर 1:30 बजे से पहले और दूसरी मुलाकात के बाद रात 8:00 बजे से पहले किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता श्रीमती दीप्ति गोयल और उनका एक रिश्तेदार भी यदि चाहें तो उस दौरान बच्चे के साथ रह सकते हैं।

4. यदि किसी कारणवश प्रतिवादी संख्या 3 - डॉ. दिनेश अग्रवाल रविवार को बच्चे से मिलने में असमर्थ रहते हैं, तो याचिकाकर्ता की संरक्षक/माता श्रीमती दीप्ति गोयल को रविवार के ठीक बाद वाले दिन एक या दो दिन के भीतर सूचित करने के बाद, वे उस बदले हुए दिन बच्चे से मिल सकते हैं।

5. बंदी मास्टर देवांश अग्रवाल के पिता डॉ. दिनेश अग्रवाल को अपने पुत्र से ऑडियो या वीडियो माध्यम से टेलीफोन पर संपर्क करने का अधिकार है। टेलीफोन पर बातचीत के लिए, श्रीमती दीप्ति गोयल, माता, बच्चे को टेलीफोन/मोबाइल फोन उपलब्ध कराएंगी। बंदी मास्टर देवांश के पिता और माता दोनों के लिए यह उचित होगा कि वे बच्चे और उसके पिता के बीच टेलीफोन पर बातचीत के लिए कम से कम दस मिनट का समय निर्धारित करें।

6. यदि बच्चे के पिता अपने बच्चे के प्रति प्रेम और स्नेह के कारण कोई उपहार देना चाहते हैं या घर/शॉपिंग मॉल/पार्क में बच्चे की भलाई के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो बच्चे की माता या श्रीमती दीप्ति गोयल के परिवार के किसी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं होगी। हालांकि, पिता को यह ध्यान रखना होगा कि दी जाने वाली वस्तुएँ बच्चों के उपयोग और सुरक्षा के लिए ही हों।

7. पारस्परिक रूप से, याचिकाकर्ता की संरक्षक, बच्चे मास्टर देवांश की माता, पिता को दिए गए मुलाकात के अधिकार के संबंध में निर्देश का पालन करने के लिए या ऊपर उल्लिखित किसी अन्य तिथि पर, मकान संख्या बी-47, सेक्टर-एच, अलीगंज, जिला लखनऊ में उपस्थित रहेंगी। माता न्यायालय की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना और बच्चे के पिता, प्रतिवादी संख्या 3 को सूचित किए बिना बच्चे के साथ अपना निवास स्थान नहीं छोड़ेंगी या नहीं बदलेंगी। वह ऊपर दिए गए निर्देशानुसार पूर्व अनुमति के बिना बच्चे मास्टर देवांश के साथ न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं जाएंगी।

25. इन टिप्पणियों/निर्देशों के साथ, सी.एम. आवेदन संख्या 1ए/14/2022, सी.एम. आवेदन संख्या 25/2022 और सी.एम. आवेदन संख्या 15/2022 का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाता है।”

21. इसी आदेश को पिता ने इंट्रा-कोर्ट अपील संख्या 221/2023 में और माता ने इंट्रा-कोर्ट अपील संख्या 225/2023 में चुनौती दी है।

22. दोनों इंट्रा-कोर्ट अपीलों पर इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने सुनवाई की और जैसा कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है, न्यायालय ने पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से मामले को सुलझाने के लिए गंभीर प्रयास किए। पति-पत्नी को पुत्र सहित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय ने पक्षों को परामर्श देने के लिए सार्थक प्रयास किए, जिसमें लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के मनोचिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉ. अमित आर्य की पेशेवर सहायता लेना भी शामिल था।

23. इस स्तर पर, इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 06.07.2023 को पारित आदेश पर ध्यान देना प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार है:-

"हमारे दिनांक 10.05.2023 के आदेश के संदर्भ में, अपीलकर्ता संख्या 1/डॉ. दिनेश कुमार अग्रवाल और प्रतिवादी संख्या 3/श्रीमती दीप्ति अग्रवाल अपने बच्चे मास्टर देवांश अग्रवाल के साथ उपस्थित हैं।

हमारे अनुरोध पर, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज (केजीएमसी) के कुलपति ने विश्वविद्यालय के मनोरोग विभाग के प्रोफेसर डॉ. अमित आर्य को नामित किया है, जो भी उपस्थित हैं।

हमने डॉ. आर्य की सहायता से अपीलकर्ता संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 3 से विचार-विमर्श किया। हमने बच्चे से भी थोड़ी बातचीत की।

डॉ. अमित आर्य का मत है कि पति और पत्नी दोनों का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन आवश्यक है। उनका यह भी मत है कि बच्चे का भी मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन आवश्यक है ताकि ऐसी व्यवस्था विकसित की जा सके जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चा बेहतर वातावरण में स्वयं का विकास करने और आगे बढ़ने के लिए सक्षम हो। अपीलकर्ता संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए सहमति दे दी है।

तदनुसार, हम डॉ. अमित आर्य से अनुरोध करते हैं कि वे केजीएमसी के मनोचिकित्सा विभाग में इन दोनों व्यक्तियों और बच्चे का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करें। मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करते समय, डॉ. अमित आर्य अपने विभाग के अन्य डॉक्टरों/नर्सों/कर्मचारियों और एक बाल मनोचिकित्सक/मनोवैज्ञानिक की सहायता लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। वे केजीएमसी का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान अधिवक्ता श्री शुभम त्रिपाठी के माध्यम से अगली सुनवाई की तारीख तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

अब इस मामले को 27.07.2023 को सूचीबद्ध किया जाएगा।

अगली सुनवाई की तारीख पर अपीलकर्ता संख्या 1/डॉ. दिनेश कुमार अग्रवाल और प्रतिवादी संख्या 3/श्रीमती दीप्ति अग्रवाल न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे।

इस बीच, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या 9303/2020 में दिनांक 06.01.2022 को पारित आदेश के अनुसार मुलाकात की व्यवस्था अगली सुनवाई की तारीख तक जारी रहेगी।

हालाँकि, हम यह प्रावधान करते हैं कि जब पिता अपने ससुराल में बच्चे से मिलने जाए, तो वह अपने साथ उपहार, खाद्य पदार्थ या फल ला सकता है, जबकि बच्चे की माँ भी आवश्यक भोजन उपलब्ध करा सकती है।

हम यह भी प्रावधान करते हैं कि मुलाकात की अवधि पाँच घंटे होगी।

हम बच्चे की माँ से अनुरोध करते हैं कि वह पिता के बच्चे से मिलने के दौरान यथासंभव उपस्थित रहने का प्रयास करे।

हम बच्चे के माता-पिता से अनुरोध करते हैं कि वे मुलाकात के समय सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने का प्रयास करें।

24. इस न्यायालय की एक अन्य समन्वय पीठ ने भी प्रतिस्पर्धी पति-पत्नी के बीच मतभेदों को दूर करने की संभावना तलाशी और इसी प्रयास में उसने मुलाकात के समय को बढ़ा दिया, जैसा कि दिनांक 27.03.2025 के आदेश से स्पष्ट है, जो इस प्रकार है:-

"1. दोनों पक्ष उपस्थित हैं और उनका प्रतिनिधित्व उनके संबंधित अधिवक्ताओं द्वारा किया जा रहा है।

2. इस न्यायालय द्वारा दिनांक 6.7.2023 को पारित आदेश का मुख्य भाग, जो पक्षों के बीच प्रभावी है, इस प्रकार है:-

"मामले की सुनवाई अब दिनांक 27.07.2023 को होगी।

अगली सुनवाई की तारीख पर अपीलकर्ता क्रमांक 1/डॉ. दिनेश कुमार अग्रवाल और प्रतिवादी क्रमांक 3/श्रीमती दीप्ति अग्रवाल न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे।

इस बीच, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या 9303/2020 में दिनांक 06.01.2022 को पारित आदेश के अनुसार मुलाकात की व्यवस्था अगली सुनवाई की तारीख तक जारी रहेगी।

हालाँकि, हम यह प्रावधान करते हैं कि जब पिता अपने ससुराल में बच्चे से मिलने जाए, तो वह अपने साथ उपहार, खाद्य पदार्थ या फल ला सकता है, जबकि बच्चे की माँ भी आवश्यक भोजन उपलब्ध करा सकती है।

हम यह भी प्रावधान करते हैं कि मुलाकात की अवधि पाँच घंटे होगी।

हम बच्चे की माँ से अनुरोध करते हैं कि वह पिता के बच्चे से मिलने के दौरान यथासंभव उपस्थित रहने का प्रयास करे।

हम बच्चे के माता-पिता से अनुरोध करते हैं कि वे मुलाकात के समय सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने का प्रयास करें।"

3. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनने के बाद, जो स्वयं उपस्थित थे, हम दिनांक 6.7.2023 के आदेश के क्रियाशील भाग में संशोधन करते हुए

मुलाकात की अवधि को, जो पाँच घंटे तक सीमित थी, बढ़ाकर दस घंटे कर देते हैं। यह अवधि मुलाकात के दिन सुबह 10 बजे से शुरू होकर रात 8 बजे तक चलेगी। इस दौरान, पत्नी दीप्ति अग्रवाल अपने पति के साथ अच्छा व्यवहार करेंगी और उन्हें विनम्रतापूर्वक आतिथ्य प्रदान करेंगी। पिता को किसी भी रिश्तेदार के हस्तक्षेप के बिना बच्चे से मिलने की स्वतंत्रता होगी। पिता बच्चे और परिवार के सदस्यों के प्रति गरिमापूर्ण व्यवहार बनाए रखेंगे। मुलाकात की अवधि के दौरान परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा कोई बाधा उत्पन्न नहीं की जाएगी और पिता के आने-जाने के समय सुगम वातावरण बनाए रखा जाएगा। दिनांक 6.7.2023 के आदेश में निर्धारित अन्य शर्तें इस न्यायालय के अगले आदेश तक यथावत रहेंगी।

4. यह आदेश पक्षों के बीच आपसी सहमति से पारित किया गया है।

5. दिनांक 29.4.2025 को सूचीबद्ध/प्रस्तुत किया जाए।

25. इसी क्रम में, इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा 09.05.2025 को एक अन्य विस्तृत आदेश पारित किया गया, जो इस प्रकार है:-

"1. दोनों पक्ष अपने अधिवक्ताओं के साथ कक्ष की कार्यवाही में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं। नाबालिग बच्चे को भी प्रस्तुत किया गया है।

2. 27.3.2025 को पारित हमारे आदेश द्वारा मुलाकात की अवधि दस घंटे तक बढ़ा दी गई थी। उक्त आदेश का प्रासंगिक भाग नीचे दिया गया है:

".....दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं, हम 6.7.2023 के आदेश के प्रभावी भाग में इस हद तक संशोधन करते हैं कि पांच घंटे तक सीमित मुलाकात की अवधि को बढ़ाकर दस घंटे कर दिया जाए। यह अवधि मुलाकात के दिन सुबह 10 बजे से शुरू होकर रात 8 बजे तक चलेगी। इस अवधि के दौरान, पत्नी दीप्ति अग्रवाल अपने पति के साथ अच्छा व्यवहार करेंगी और उन्हें विनम्र आचरण और आतिथ्य प्रदान करेंगी। पिता को बिना किसी हस्तक्षेप के बच्चे से मिलने की स्वतंत्रता होगी। किसी भी रिश्तेदार के साथ मुलाकात की अनुमति नहीं है। पिता को बच्चे और परिवार के सदस्यों के प्रति गरिमापूर्ण व्यवहार बनाए रखना चाहिए। मुलाकात की अवधि के दौरान परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा कोई बाधा उत्पन्न नहीं की जानी चाहिए और पिता के आने-जाने के समय सुगम वातावरण बनाए रखा जाना चाहिए। दिनांक 6.7.2023 के आदेश में निर्धारित अन्य शर्तें इस न्यायालय के अगले आदेश तक लागू रहेंगी।

यह आदेश दोनों पक्षों की आपसी सहमति से पारित किया गया है।

3. यह स्पष्ट है कि विस्तारित समयावधि माता-पिता के बीच विश्वास और भरोसे को मजबूत करने के अलावा और कुछ नहीं है। इससे बच्चे का समग्र विकास, शैक्षिक और सामाजिक दोनों, सुचारू रूप से होगा।

4. हमने कार्यवाही के दौरान बच्चे से बात की और हमें यह उचित लगा कि मुलाकात के दिन दोनों माता-पिता उसके साथ घर के अंदर और बाहर समय बिताएं। बच्चे की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, दोनों माता-पिता लगभग दो

घंटे की बाहरी मुलाकात की व्यवस्था करें ताकि बच्चे को शहर के खुले वातावरण का अनुभव मिले और उसका व्यक्तित्व आसपास के वातावरण के अनुकूल विकसित हो सके।

5. दोनों पक्षों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे बच्चे के स्वास्थ्य और आराम को ध्यान में रखते हुए, बातचीत और एक-दूसरे के प्रति व्यवहार दोनों में सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखें। बाहरी मुलाकात के बाद घर लौटने पर, हम यह स्पष्ट करते हैं कि मुलाकात की निगरानी सीसीटीवी और ऑडियो सुविधा के तहत की जाएगी ताकि न्यायालय दोनों अभिभावकों के व्यवहार और बच्चे के हावभाव को देख सके।

6. हम दोनों अभिभावकों से यह भी अपेक्षा करते हैं कि वे शालीन भाषा का प्रयोग करें ताकि बच्चे की अभिभावकों से मुलाकात से उसके पालन-पोषण में सम्मान और निडरता का बंधन मजबूत हो सके। दोनों अभिभावकों को बच्चे के साथ सुखद बातचीत सुनिश्चित करनी चाहिए और वे बच्चे को उसकी पसंद की और सुरक्षित एवं स्वास्थ्यवर्धक चीजें भी दे सकते हैं।

7. हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि बैठक के दौरान माता-पिता की चर्चाओं में बच्चे की भागीदारी की स्वतंत्रता को डिजिटल माध्यमों से उसका ध्यान भटकाकर बाधित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि आसपास खेलकूद की चीजें रखी जानी चाहिए ताकि एक सुखद वातावरण बनाया जा सके और समय का सदुपयोग इस प्रकार हो जिससे बच्चे में शारीरिक गतिविधियों और माता-पिता के साथ मौखिक बातचीत के प्रति रुचि और आनंद की भावना विकसित हो। चूंकि न्यायालय व्यवहार संबंधी शर्तों को कड़ाई से निर्धारित नहीं कर सकता, फिर भी दोनों सुशिक्षित माता-पिता से यह अपेक्षा की जाती है कि वे एक सुखद और खेलकूदपूर्ण वातावरण बनाएं ताकि नाबालिग बच्चा बैठक के दौरान सहज महसूस करे।

8. बैठक केवल माता-पिता और बच्चे तक ही सीमित रहेगी और इसमें किसी अन्य का हस्तक्षेप नहीं होगा।

9. इस मामले को 23 मई, 2025 को सूचीबद्ध किया जाए।

न्यायालय द्वारा किए गए उपरोक्त प्रयासों के बावजूद, पति-पत्नी के हठधर्मिता के कारण कोई ठोस प्रगति नहीं हो सकी।

26. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, पिता ने एक बार फिर इस इंट्रा-कोर्ट अपील संख्या 2/2025 में दिनांक 24.04.2025 को एक और आवेदन दायर किया, जिसमें दिनांक 07.03.2025 के आदेश में संशोधन/स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। इसके जवाब में, माता ने दिनांक आईए संख्या 3/2025 के तहत अपनी आपत्तियां दायर कीं। अपनी आपत्तियों के अलावा, माता ने दिनांक आईए संख्या 4/2025 के तहत एक अलग आवेदन भी दायर किया, जिसमें उन्होंने दिनांक 06.07.2023, 27.03.2025 और 09.05.2025 के आदेशों में संशोधन की मांग की। पिता ने अपनी आपत्तियां दायर करके इसका जवाब दिया, जिसके बाद माता ने एक प्रत्युत्तर हलफनामा दायर किया।

27. रिकॉर्ड से पता चलता है कि पिता द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका संख्या 32470/2025, जिसमें अवमानना न्यायालय द्वारा दिनांक 27.08.2025 को अवमानना याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई थी, का निस्तारण सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 17.11.2025 के आदेश द्वारा किया, जो इस प्रकार है:-

- "1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को सुना।
2. हमने पाया कि याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के संबंध में अवमानना याचिका दायर की थी, जिसके कारण यह विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है।
3. हम इस विशेष अनुमति याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय द्वारा पारित याचिकाकर्ता के मुलाकात अधिकारों से संबंधित अंतरिम आदेश में संशोधन की मांग करने वाले आवेदन पर जोर देने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखते हैं। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि अंतरिम आदेश आपसी सहमति से पारित नहीं किए गए थे और इसलिए इस संबंध में एक अन्य आवेदन दायर किया गया है। याचिकाकर्ता को इस बात पर भी जोर देने की स्वतंत्रता है कि आवेदन।
4. उपरोक्त परिस्थितियों में, हम विशेष अपील संख्या 221/2023 (डॉ. दिनेश कुमार अग्रवाल और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) और विशेष अपील संख्या 225/2023 (मास्टर देवांश अग्रवाल (बंदी) उनकी माता श्रीमती दीप्ति गोयल और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) के अंतिम निस्तारण के लिए भी स्वतंत्रता सुरक्षित रखते हैं, जो एक दूसरे से संबंधित हैं।
5. यह कहना अनावश्यक है कि यदि याचिकाकर्ता उपर्युक्त अनुरोध उच्च न्यायालय से करता है, तो उन पर शीघ्रता से विचार किया जाएगा और उच्च न्यायालय या तो अंतरिम आदेश में संशोधन करेगा या मामले का निस्तारण यथाशीघ्र, कानून के अनुसार, और अधिमानतः आज से तीन महीने की अवधि के भीतर करेगा।
6. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, तो उनका निस्तारण कर दिया जाएगा।"

28. उपरोक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में और विशेष रूप से ऊपर उद्धृत सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट होता है कि पिता को संशोधन के लिए अपने आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी गई थी और इस न्यायालय से अपीलों का शीघ्र निस्तारण करने का भी अनुरोध किया गया था। अतः, इस न्यायालय ने संबंधित पक्षों द्वारा दायर लंबित आवेदनों और अपीलों के गुण-दोषों दोनों पर पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सुनवाई की।

29. पिता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रशांत चंद्र, जिनकी सहायता सुश्री मेहा रश्मी ने कुशलतापूर्वक की, ने पुरजोर तर्क दिया कि एक जिद्दी माँ के कारण एक नन्हे बच्चे का जीवन खतरे में है।

30. यह तर्क दिया गया है कि पुत्र 07.07.2020 से 06.01.2022 तक पिता के साथ था और बच्चे की अभिरक्षा माँ को सौंप दी गई थी। पिता को इस आशा के साथ मुलाकात का अधिकार दिया गया था कि बच्चे को उसकी माँ और माँ दोनों का प्यार और स्नेह मिलेगा। पिता और बच्चे का सुरक्षित पालन-पोषण किसी भी बच्चे के लिए आवश्यक है। उपरोक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, माननीय एकल न्यायाधीश ने बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए दिनांक 06.01.2022 को विस्तृत मुलाकात आदेश पारित किया था।

31. पेशे से डॉक्टर होने के नाते पिता इस बात को भली-भाँति समझते हैं कि एक बच्चे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से कितना आघात हो सकता है। इसलिए, स्थिरता प्रदान करने के लिए, पिता ने मुलाकात आदेश को स्वीकार कर लिया, इस तथ्य के बावजूद कि पिता धनबाद में रहते हैं, जो लखनऊ से लगभग 800 किलोमीटर दूर है।

32. पिता प्रत्येक सप्ताहांत धनबाद से लखनऊ अपने बेटे के साथ समय बिताने के लिए यात्रा करते थे। हालाँकि, यह बात माँ को पसंद नहीं थी और उन्होंने पिता और बेटे की मुलाकात को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया। कभी-कभी बेटे के खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए या यह कहते हुए कि वह अपने पिता से मिलने या मुलाकात के दौरान उनके साथ घूमने जाने के लिए तैयार नहीं है, वह तुच्छ आपत्तियाँ उठाती थी।

33. यह तर्क दिया गया कि माँ की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। हालाँकि, इस बाधा को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बेटे को इस कारण कोई परेशानी न हो, पिता ने स्वेच्छा से माँ के खाते में हर महीने 25,000 रुपये जमा किए। पिता की एकमात्र इच्छा बेटे के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना और उसके साथ अपने भावनात्मक बंधन को मजबूत करना थी।

34. आगे यह तर्क दिया गया कि अपने प्रारंभिक वर्षों में एक बच्चे को न केवल अपनी माँ के प्यार और स्नेह की आवश्यकता होती है, बल्कि यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि उसे अपने पिता का सहारा, प्यार, स्नेह और सुरक्षा मिले और दादा-दादी को भी अपने पोते से मिलने का अधिकार है। धनबाद और लखनऊ के बीच लंबी दूरी के बावजूद, पिता ने लखनऊ में अपने ससुराल के घर के पास एक किराए का मकान लिया ताकि दादा-दादी भी अपने पोते से घरेलू और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मिल सकें। मुलाकात के समय को सुगम बनाने के लिए पिता द्वारा किए गए सभी

प्रयास माँ ने विफल कर दिए, यह महसूस किए बिना कि पति-पत्नी के बीच किसी भी प्रकार की दुश्मनी उनके बेटे पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।

35. यह भी प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय ने बच्चे के कल्याण को ध्यान में रखते हुए 'माता-पिता के अधिकार क्षेत्र' के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया और मुलाकात का समय बढ़ाकर प्रतिदिन 10 घंटे कर दिया, इस उम्मीद के साथ कि बच्चे को दोनों माता-पिता का प्यार और स्नेह मिले और वह साझा पालन-पोषण के लाभों को प्राप्त कर सके। पिता ने अपनी ज़िम्मेदारी से कभी मुंह नहीं मोड़ा, चाहे वह भावनात्मक हो, आर्थिक हो या किसी और तरह की। कई बार जब मुलाकात हुई, तो वह निष्पक्ष माहौल में नहीं हुई, क्योंकि मां के बजाय उनकी अविवाहित बहन बच्चे के साथ आई और उसका व्यवहार बेहद अभद्र था। वह सार्वजनिक स्थान पर ऊंची आवाज़ में बोलती थी और पिता-पुत्र की मुलाकात को रिकॉर्ड करती थी, जो एक छोटे बच्चे के लिए अनुचित और शर्मनाक था।

36. इसके अलावा, जब पिता अपने ससुराल में बच्चे से मिलने गए, तो माँ ने उन्हें घर के अंदर मोबाइल फोन या लैपटॉप ले जाने की अनुमति नहीं दी, बल्कि उन्हें गेट पर तैनात गार्डों के पास छोड़ने का निर्देश दिया। हालाँकि 06.01.2022 को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से मुलाकात की निगरानी का प्रावधान था, फिर भी घर का माहौल एक विशेष नकारात्मक सोच से भरा हुआ था, जिसके कारण मुलाकात निरर्थक हो गई।

37. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी बताया कि वर्षों से और कानूनी कार्यवाही के दौरान, पिता ने हमेशा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि मुकदमे का बेटे पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इसके विपरीत, माँ ने हमेशा मुलाकात आदेश के सुचारु कार्यान्वयन में बाधा डाली है। परिणामस्वरूप, बच्चे में भावनात्मक असुरक्षा विकसित हो गई है, जो आने वाले वर्षों में बेटे को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी। माँ द्वारा बच्चे का पिता के विरुद्ध लगातार नकारात्मक रूप से मस्तिष्क में मत डालना बच्चे के कल्याण के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।

38. उपरोक्त परिस्थितियों में और बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए, पिता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रार्थना की कि बच्चे की अभिरक्षा पिता को सौंप दी जाए, जो न केवल आर्थिक रूप से सक्षम हैं और अपने बेटे की शिक्षा का खर्च उठा सकते हैं, बल्कि उनका एक स्थिर और स्नेहपूर्ण परिवार भी है जहाँ बच्चा अपने दादा-दादी और यहाँ तक कि चचेरे भाई-बहनों का भी प्यार और स्नेह प्राप्त कर सकता है, अर्थात् एक संपूर्ण परिवार।

39. वैकल्पिक रूप से यह तर्क दिया गया कि यदि सहमति हो, तो पिता बच्चे की शिक्षा का पूरा खर्च उठाने के लिए तैयार हैं, उसे एक अच्छे और प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालय में दाखिला दिलाकर, ताकि बच्चा माँ के इशारे पर किए जा रहे छल-कपट से दूर रहे। बोर्डिंग स्कूल में शिक्षा बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए सहायक होगी और इससे दोनों माता-पिता को निष्पक्ष और तटस्थ वातावरण में बच्चे से मिलने की सुविधा भी मिलेगी, जबकि छुट्टियों को न्यायालय द्वारा किए जाने वाले किसी भी उचित समझौते के अनुसार दोनों माता-पिता के बीच साझा किया जा सकता है।

40. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि अभिरक्षा संबंधी मामलों में न्यायालय द्वारा पारित आदेश कभी भी अंतिम नहीं होते और बच्चे के कल्याण और सर्वोत्तम हित को सुनिश्चित करने के लिए उनमें संशोधन किया जा सकता है, जो सर्वोपरि है। इस प्रकार, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका या इस न्यायालय के भीतर की अपीलों में पहले पारित किए गए कोई भी आदेश इस न्यायालय के लिए उचित आदेश पारित करने में कानूनी बाधा नहीं बन सकते।

41. श्री चंद्र, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपने तर्कों को पुष्ट करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों का हवाला दिया है: (i) **थ्रिटी होशी डोलिकुका बनाम होशियाम शवक्षा डोलिकुका: (1982) 2 एससीसी 544;** (ii) **शेओली हाटी बनाम सोमनाथ दास: (2019) 7 एससीसी 490;** (iii) **यशिता साहू बनाम राजस्थान राज्य और अन्य: (2020) 3 एससीसी 67;** (iv) **अमिरु द्दिवेदी बनाम अभिनव द्दिवेदी और अन्य : (2021) 4 एससीसी 698** (iv) **कर्नल रामनीश पाल सिंह बनाम सुगंधि अग्रवाल : [2024] 6 एससीआर 259.**

42. इसके विपरीत, श्री एच.जी.एस. परिहार, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री मीनाक्षी सिंह परिहार के साथ, ने पुरजोर तर्क दिया कि माता अपने बच्चे के सर्वोत्तम हित को जानती है और माता को बदनाम करने के जानबूझकर प्रयास किए गए हैं। यह प्रस्तुत किया गया कि माता ने 3 जुलाई 2018 को लखनऊ में अपने बेटे को जन्म दिया था और उसका बेटा कभी भी अपनी माता की नजरों से दूर नहीं हुआ है।

43. माता और डॉ. अग्रवाल के बीच वैवाहिक विवाद उत्पन्न हुए और दहेज की मांग के कारण उन्हें उनके ससुराल से निकाल दिया गया। माता और बच्चा लखनऊ में साथ रह रहे हैं। जुलाई 2020 में, कोविड-19 महामारी के दौरान, पिता ने एक घिनौनी योजना के तहत बच्चे और मां से मिलने लखनऊ का रुख किया। ससुराल में ठहरने के दौरान, पिता ने अपने बेटे को थोड़ी देर की

सैर पर ले जाने के बहाने बच्चे का अपहरण कर लिया और बिना सूचना दिए बच्चे को माँ की देखरेख से छीन लिया। जब बच्चा घर नहीं लौटा, तो गहन खोजबीन की गई और तब पता चला कि पिता ने बच्चे को उसकी माँ से जबरदस्ती छीन लिया था।

44. यह तर्क दिया गया कि इस पृष्ठभूमि में, पिता के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई और इस न्यायालय में रिट याचिका संख्या 9307/2020 के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका भी दायर की गई, जिसमें कई आदेश पारित किए गए, लेकिन पिता ने बच्चे को पेश नहीं किया और माँ को अंधेरे में रखा। इसके बजाय, पिता ने धनबाद में 1955 के अधिनियम की धारा 9 के तहत एक मुकदमा दायर किया और धनबाद में ही अभिभावक एवं आश्रित अधिनियम के तहत एक याचिका भी दायर की।

45. उपरोक्त सूचना प्राप्त होने पर, माँ ने सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरण याचिका दायर की। इस बीच, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका इस न्यायालय में लंबित थी, लेकिन पिता उपस्थित नहीं हुए। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिनांक 14.12.2021 को आदेश पारित होने के बाद ही पिता ने विशेष अनुमति याचिका संख्या 10080/2021 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में इसे चुनौती दी, जिसे 05.01.2022 को खारिज कर दिया गया। न्यायालय के आदेशानुसार ही बच्चे को उसकी माता को सौंपा गया था। वास्तव में, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायालय द्वारा पारित बच्चे को पेश करने के आदेश की जानकारी पिता को थी, फिर भी उसने इसका पालन नहीं किया और सर्वोच्च न्यायालय के 5 जनवरी 2022 के आदेश के हस्तक्षेप के बाद ही 6 जनवरी 2022 को बच्चे की शारीरिक अभिरक्षा माता को सौंपी गई।

46. इस पृष्ठभूमि में, एक व्यक्ति इतना गैरजिम्मेदार है कि जब पूरा देश कोविड-19 महामारी की चपेट में था और ऐसे गंभीर समय में, बेटे को उसकी माँ से अलग कर दिया गया और उसे लखनऊ से धनबाद तक यात्रा करने के लिए मजबूर किया गया, जिससे उसके स्वास्थ्य और जीवन को खतरा हुआ। 7 जुलाई 2020 से पहले बेटा हमेशा अपनी माँ के साथ रहता था, और 7 जुलाई 2020 से 1 जून 2022 की अवधि के दौरान माँ की अभिरक्षा से जबरन हटाए जाने के कारण उसे अपने पिता के साथ रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद से बेटा अपनी माँ की अभिरक्षा में है, जो बच्चे की पूरी देखभाल कर रही है। वह लखनऊ के एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है और शैक्षणिक और अन्य क्षेत्रों में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है।

47. श्री प्रिहार, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि जहाँ तक बच्चे के विकास का संबंध है, इस मोर्चे पर कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि बेटे का पालन-पोषण एक स्थिर परिवार में अनुकूल वातावरण में हो रहा है। माँ पेशेवर रूप से योग्य है और उसके पास अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन हैं और ऐसा नहीं है कि माँ और उसका परिवार आर्थिक रूप से तंगी में है।

48. आगे यह तर्क दिया गया है कि बच्चा कोई वस्तु या मशीन नहीं है जिसे किसी निर्धारित सूत्र के अनुसार पाला-पोसा जाए। यह बताया गया कि न्यायालय ने दिनांक 06.01.2022 के विस्तृत मुलाकात आदेश में पिता को प्रत्येक सप्ताहांत सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच बेटे से मिलने की अनुमति दी थी। पिता को ऑडियो या वीडियो के माध्यम से टेलीफोन पर भी अपने बेटे से बात करने की अनुमति दी गई थी, हालांकि, यह व्यवस्था बच्चे के लिए कारगर नहीं थी।

49. यह बताया गया कि पिता को उस बेटे से मिलने की अनुमति देना, जिसकी उम्र 6 से 7 वर्ष थी (जब दिनांक 06.01.2022 का आदेश पारित हुआ था), व्यावहारिक नहीं था। बढ़ते बच्चे की अपनी ज़रूरतें और मनोदशा होती हैं, जो तेज़ी से और बार-बार बदलती रहती हैं। ऐसे में बच्चे को सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक सात घंटे अपने पिता के साथ रहने के लिए कहना अव्यवहारिक है, खासकर तब जब बेटे को (अदालत के आदेश के तहत) अनिच्छा से अपने पिता के साथ रहना पड़ता है। इससे बच्चा असुरक्षित महसूस करता है और आनाकानी करता है। इसके अलावा, बच्चा स्कूल जाने लगा था और सप्ताहांत आराम का समय होता है। बच्चे को उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी करने के लिए मजबूर करना उचित नहीं है, बल्कि इससे बच्चा और भी चिड़चिड़ा हो जाता है।

50. यह भी तर्क दिया गया है कि इन्हीं मुद्दों के कारण माता ने 6 जनवरी 2022 के आदेश में संशोधन के लिए आवेदन दायर किया था। इसी बीच, पिता ने भी संशोधन के लिए दो आवेदन दायर किए थे और तीनों आवेदनों पर 7 अप्रैल 2023 के आक्षेपित आदेश द्वारा निर्णय लिया गया, जिसके तहत 6 जनवरी 2022 के पूर्ववर्ती आदेश में संशोधन किया गया।

51. यह तर्क दिया गया कि पिता ने जानबूझकर बेटे को मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास किया ताकि इस तथ्य को छुपाया जा सके कि बच्चे की अभिरक्षा न्यायालय के माध्यम से माँ को मिल चुकी थी। इसके लिए कई आवेदन और प्रयास किए गए, जिनमें अवमानना याचिका दायर करना भी शामिल था, जिसे खारिज कर दिया गया। पिता ने एक अलग बंदी प्रत्यक्षीकरण

याचिका भी दायर की, जिसे भी खारिज कर दिया गया। अवमानना कार्यवाही को खारिज करने के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, लेकिन असफल रही। इसके बाद, पिता द्वारा दायर की गई मूल कार्यवाही से प्राप्त न हो सकने वाले अपील आदेश की मांग करते हुए, इंटर-कोर्ट अपील दायर की गई।

52. श्री परिहार ने आगे तर्क दिया कि अभिरक्षा के मुद्दे के संबंध में, अभिरक्षा माँ को स्वेच्छा से नहीं, बल्कि न्यायालय के हस्तक्षेप से सौंपी गई थी। एक बार जब बच्चे की अभिरक्षा माता को दे दी गई और इसे कानूनी रूप से वैध माना गया, और इसी आधार पर, पिता द्वारा दायर अलग बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या 353/2022 को 20.10.2022 को खारिज कर दी गई और उक्त आदेश अंतिम हो गया। अब, अभिरक्षा का मुद्दा न तो प्रश्नगत है और न ही इसे इस इंटर-कोर्ट अपील में नए सिरे से उठाया जा सकता है।

53. श्री परिहार ने आगे तर्क दिया है कि पिता के अधिवक्ता द्वारा बच्चे को बोर्डिंग हाउस में रखने के संबंध में दिया गया तर्क पिता द्वारा अवमानना कार्यवाही के दौरान भी उठाया गया था और अवमानना न्यायालय ने भी इसे स्वीकार नहीं किया था। अवमानना न्यायालय द्वारा पारित आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका संख्या 32470/2025 में चुनौती दी गई थी और उक्त विशेष अनुमति याचिका भी खारिज कर दी गई थी। इसलिए, उक्त मुद्दा भी इस इंटर-कोर्ट अपील में नहीं उठाया जा सकता है। अतः यह तर्क दिया जा रहा है कि पिता द्वारा बच्चे की अभिरक्षा प्राप्त करने के सभी प्रयास विफल हो गए हैं और अब बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में भेजने की दलीलें दी जा रही हैं, जो बच्चे को माँ की अभिरक्षा से हटाने का एक नया तरीका होगा और इस प्रयास को "बच्चे के कल्याण" के नाम से छिपाया जा रहा है।

54. आगे यह तर्क दिया गया कि यद्यपि पिता उच्च न्यायालय में कार्यवाही का पुरजोर विरोध कर रहे हैं, लेकिन बच्चे की संरक्षकता से संबंधित मुख्य कार्यवाही लखनऊ स्थित पारिवारिक न्यायालय में लंबित है, जिस पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं की जा रही है। अतः, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संरक्षकता के मुद्दे का विरोध करने का विकल्प नहीं हो सकती। इस मामले में, बच्चे की अभिरक्षा माता के पास वैध पाई गई है, इसलिए किसी भी प्रकार की अवैधता का प्रश्न ही नहीं उठता। मुलाकात के अधिकारों के मुद्दे पर न्यायालय पहले ही विचार कर चुका है और माता की ओर से इसका उल्लंघन करने का कोई सचेत प्रयास नहीं किया गया है। हालांकि, यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, बच्चा अलग तरह से व्यवहार कर सकता है और इसे माता द्वारा न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने का कार्य नहीं माना जा सकता।

इसके अलावा, नियमित संरक्षकता कार्यवाही लंबित है और उक्त कार्यवाही में प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्यों के आधार पर, पिता अपने अधिकारों का निर्णय प्राप्त कर सकते हैं।

55. यह भी तर्क दिया गया कि बच्चे को उसकी माँ और उसके परिवार से अच्छी देखभाल और ध्यान मिल रहा है और वह अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, ऐसी परिस्थितियों में, 7 वर्ष की आयु में उसे बोर्डिंग स्कूल भेजना बच्चे के हित में नहीं होगा। यह प्रस्तुत किया गया कि संशोधन आवेदन पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 07.04.2023 को पारित आदेश भी व्यवहार्य नहीं है और यह याचिका के दायरे से बाहर है, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में दिया गया कोई भी मुलाकात आदेश केवल एक अस्थायी उपाय है, जब तक कि उचित मंच में मुख्य कार्यवाही का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता। हालांकि, इस मामले में, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को नियमित कार्यवाही के रूप में माना जा रहा है और आदेश पारित किए जा रहे हैं जबकि नियमित कार्यवाही अभी भी रुकी हुई है। अतः, उपरोक्त सभी कारणों से, पिता द्वारा दायर इंट्रा-कोर्ट अपील खारिज किए जाने योग्य है और माँ की संबंधित इंट्रा-कोर्ट अपील को स्वीकार करने के बाद दिनांक 07.04.2023 के आदेश को रद्द किया जाना चाहिए।

56. न्यायालय ने प्रतिपक्षों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता की दलीलें विस्तार से सुनीं और अभिलेख में मौजूद सामग्री का भी अध्ययन किया।

57. प्रारंभ में यह ध्यान देने योग्य है कि कोई कार्य कितना भी नेक क्यों न हो, उसका क्रियान्वयन पूरी तरह से उस व्यक्ति के इरादे पर निर्भर करेगा जिसे उसका पालन करना है। न्यायालय ने पाया कि समय-समय पर कई आदेश पारित किए गए और इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने भी पति-पत्नी के बीच गतिरोध को सुलझाने का भरसक प्रयास किया ताकि बच्चे को अपने माता-पिता और दादा-दादी दोनों के अच्छे पालन-पोषण, प्रेम और स्नेह के अधिकार से वंचित न किया जाए। दुर्भाग्यवश, ये प्रयास सफल नहीं हुए।

58. विवादरत दंपति ने एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए हैं, जो मूलतः तथ्यात्मक प्रकृति के हैं और पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दिए जाने के बाद ही इनका सर्वोत्तम मूल्यांकन किया जा सकता है। हालांकि, इस न्यायालय के समक्ष दुविधा यह है कि वैवाहिक संघर्ष के बीच बच्चे के सर्वोत्तम हित की रक्षा कैसे की जाए।

59. यह निःसंदेह सत्य है कि जहां बच्चे के कल्याण का मामला हो, वहां न्यायालय अपने पैतृक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। यह भी उतना ही सत्य है कि ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते

समय न्यायालय किसी तकनीकी बाधा से बंधा नहीं होता, बल्कि बच्चे के सर्वोत्तम हित को सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय को ऐसे आदेश पारित करने का अधिकार है जो वह बच्चे के सर्वोत्तम हित को सुरक्षित करने के लिए उचित समझे, चाहे संहिताबद्ध कानून कितना भी कठोर क्यों न हो, जो इस न्यायालय की शक्ति को कम नहीं करेगा।

60. अभिलेख में प्रस्तुत सामग्री के आलोक में, कुछ निर्विवाद तथ्य इस प्रकार हैं:-

(i) पक्षकार पहले से ही लखनऊ स्थित पारिवारिक न्यायालय के समक्ष मूल कार्यवाही लड़ रहे हैं। मां ने तलाक का मुकदमा दायर किया है जबकि बच्चे के पिता ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत याचिका और संरक्षक एवं आश्रित अधिनियम, 1890 के तहत एक अलग आवेदन दायर किया है।

(ii) उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही तभी शुरू हुई जब पिता ने कथित तौर पर 7 जुलाई 2020 को बेटे को मां की अभिरक्षा से ले लिया था और न्यायालय के हस्तक्षेप और बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या 9307/2020 में पारित आदेशों के बाद ही 6 जनवरी 2022 को बच्चे की अभिरक्षा मां को वापस सौंपी गई।

(iii) बच्चे की अभिरक्षा माता को सौंपते समय, विद्वान एकल न्यायाधीश ने पिता के मुलाकात के अधिकारों के संबंध में विस्तृत आदेश पारित किया, उस समय जब बच्चा 4 वर्ष का था।

(iv) दिनांक 06.01.2022 के आदेश में मुलाकात के संबंध में दिए गए उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया गया। फिर भी, इस न्यायालय के लिए इन कार्यवाही में यह तय करना संभव नहीं है कि उक्त आदेश के उल्लंघन के लिए कौन जिम्मेदार था, विशेषकर तब जब पिता ने पहले ही उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 06.01.2022 को पारित आदेश की जानबूझकर अवज्ञा का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका दायर की थी और उक्त अवमानना याचिका को दिनांक 27.08.2025 को खारिज कर दिया गया था। यद्यपि उक्त आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, लेकिन असफल रही क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 17.11.2025 के अपने आदेश द्वारा उक्त विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया था।

(v) उल्लेखनीय रूप से, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या 9307/2020 में दिनांक 14.12.2021 को पारित प्रारंभिक विस्तृत आदेश को भी पिता ने सर्वोच्च न्यायालय

में चुनौती दी थी और उक्त एस.एल.पी. संख्या 10080/2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने 05.01.2022 को खारिज कर दिया था।

(vi) पिता ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या 353/2022 के माध्यम से बंदी प्रत्यक्षीकरण की मांग करते हुए अपनी अलग रिट याचिका दायर की थी, जिसे न्यायालय ने 20.10.2022 को खारिज कर दिया था और उक्त आदेश को पिता ने कभी भी किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी थी।

61. उपरोक्त निर्विवाद तथ्यों के मददेनजर, इस न्यायालय के समक्ष दो मुद्दे हैं: (i) पिता की बच्चे की अभिरक्षा प्राप्त करने की याचिका और (ii) वैकल्पिक रूप से, बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में रखने की याचिका।

62. यह सत्य हो सकता है कि अभिरक्षा और मुलाकात के अधिकारों से संबंधित कार्यवाही में पारित आदेश अंतिम नहीं होते, क्योंकि परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर उन्हें आकस्मिक परिस्थितियों के अनुरूप ढाला और संशोधित किया जा सकता है, और न्याय के हित में बच्चे के कल्याण को ध्यान में रखा जा सकता है। हालांकि, साथ ही यह भी याद रखना आवश्यक है कि पारित आदेश पक्षों पर तब तक बाध्यकारी बने रहते हैं जब तक कि परिस्थितियों में कोई परिवर्तन न हो जाए, और परिवर्तित परिस्थितियां ऐसी हों कि वे आदेशों की व्यवहार्यता या कार्यक्षमता को प्रभावित करें, या परिस्थितियां इतनी गंभीर रूप से बदल जाएं कि नए आदेश जारी करना आवश्यक हो जाए।

63. रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर न्यायालय पाता है कि पति-पत्नी के हठधर्मिता के कारण समन्वय पीठ द्वारा दिए गए आदेश और किए गए प्रयास निष्प्रभावी हो गए हैं और यही पक्षों के बीच मनमुटाव का कारण है। फिर भी, बच्चे को ही बलि का बकरा बनाया जा रहा है।

64. जहां तक साझा पालन-पोषण का सवाल है, यह निस्संदेह बच्चे के पालन-पोषण का एक बेहतर तरीका है। हालांकि, इस मामले में माता-पिता कानूनी लड़ाई में उलझे हुए हैं। दोनों ही सुशिक्षित और योग्य हैं, फिर भी अपने निजी कारणों से वे अपने मतभेदों को दूर नहीं कर पाए हैं। जैसा कि तथ्यों के विवरण में देखा गया है, न्यायालय ने कई प्रयास किए और यहां तक कि पक्षों को मध्यस्थता केंद्र भी भेजा, लेकिन इससे कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला।

65. इस स्तर पर, पिता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उद्धृत सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख करना उचित होगा, जिनमें बच्चे की अभिरक्षा, बच्चे के सर्वोत्तम हित में जारी किए गए मुलाकात के अधिकार और अभिभावक क्षेत्राधिकार से संबंधित मुद्दों पर विचार किया गया है।

66. सर्वोच्च न्यायालय ने **थर्टी होशी डोलिकुका** (उपरोक्त) मामले में निम्नलिखित निर्णय दिया है:-

“17. नाबालिग की अभिरक्षा से संबंधित कानून के सिद्धांत सुस्थापित प्रतीत होते हैं। यह सर्वविदित है कि किसी भी नाबालिग से संबंधित मामले पर केवल नाबालिग के कल्याण और हित के दृष्टिकोण से ही विचार किया जाना चाहिए और निर्णय लिया जाना चाहिए। नाबालिग से संबंधित मामले पर विचार करते समय, न्यायालय की एक विशेष जिम्मेदारी होती है और नाबालिग के कल्याण पर विचार करना और उसके हितों की रक्षा करना न्यायालय का कर्तव्य है। नाबालिग की अभिरक्षा के प्रश्न पर विचार करते समय, न्यायालय को केवल नाबालिग के कल्याण के विचार से ही निर्देशित होना चाहिए।

18. हाल्सबरी के इंग्लैंड के कानून, तीसरे संस्करण, खंड 21 में, कानून को पृष्ठ 193-194 पर पैरा 428 में संक्षेप में निम्नलिखित शब्दों में बताया गया है:

“428. शिशु का कल्याण सर्वोपरि। किसी भी न्यायालय के समक्ष किसी शिशु की अभिरक्षा या पालन-पोषण, या शिशु से संबंधित या उसके लिए न्यास में रखी गई किसी संपत्ति के प्रशासन, या उसकी आय के उपयोग से संबंधित किसी भी कार्यवाही में, न्यायालय को शिशु के कल्याण को प्रथम और सर्वोपरि मानना चाहिए, और किसी भी अन्य दृष्टिकोण से, पिता के दावे, या ऐसी अभिरक्षा, पालन-पोषण, प्रशासन या उपयोग के संबंध में पिता द्वारा प्राप्त किसी भी सामान्य कानूनी अधिकार को माता के दावे से श्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए, या माता के दावे को पिता के दावे से श्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए। यह प्रावधान तब भी लागू होता है जब दोनों माता-पिता जीवित हों या उनमें से कोई एक या दोनों मृत हों।

यदि शिशु विदेशी नागरिक भी हो, तो न्यायालय विदेशी न्यायालय के विचारों को महत्व देते हुए भी, शिशु के कल्याण को सर्वोपरि मानने के लिए बाध्य है, चाहे किसी अन्य देश के न्यायालयों द्वारा कोई भी आदेश दिया गया हो।

19. रोजी जैकब बनाम जैकब ए. चक्रमक्कल [(1973) 1 एससीसी 840 : एआईआर 1973 एससी 2090 : (1973) 3 एससीआर 918] के मामले में इस न्यायालय ने एससीआर पृष्ठ 934-35 पर टिप्पणी की है: (एससीसी पृष्ठ 354-55, पैरा 15-17)

“...हालांकि, जहां कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण पारिवारिक विघटन आवश्यक हो जाता है, वहां न्यायालय को सभी प्रासंगिक परिस्थितियों पर पूर्ण विचार करने के बाद बच्चों के कल्याण के प्रश्न पर न्यायिक निर्णय लेना होगा। महज इस आधार पर कि पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है और अन्यथा अवांछनीय नहीं पाया गया है, यह निष्कर्ष निकालना आवश्यक नहीं है कि बच्चों की अभिरक्षा उसे

सौंपने से बेहतर होगा, जबकि पत्नी भी अपने बच्चों के प्रति समान रूप से स्नेही हो सकती है और अन्य मामलों में भी उतनी ही निर्दोष हो सकती है, और इसके अतिरिक्त, अपने पेशे और आर्थिक संसाधनों के कारण, वह बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और भरण-पोषण की गारंटी देने में सक्षम हो सकती है। बच्चे मात्र संपत्ति नहीं हैं, न ही वे अपने माता-पिता के लिए मात्र खिलौने हैं। आधुनिक परिवर्तित सामाजिक परिस्थितियों में, बच्चों के भाग्य और जीवन पर माता-पिता के पूर्ण अधिकार को मानव के रूप में उनके कल्याण के विचारों के आगे झुकना पड़ा है, ताकि वे सामान्य संतुलित तरीके से परिपक्व होकर समाज के उपयोगी सदस्य बन सकें। माता और पिता के बीच विवाद की स्थिति में, अभिभावक न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह नाबालिग बच्चों के कल्याण की आवश्यकताओं और उन पर उनके संबंधित माता-पिता के अधिकारों के बीच उचित संतुलन बनाए रखे। हमारी राय में, विद्वान एकल न्यायाधीश का दृष्टिकोण सही था और हम उनसे सहमत हैं। हमें लगता है कि अपील पर सुनवाई करने वाली लेटर्स पेटेंट बेंच ने उन आधारों पर उनके फैसले को खारिज करने में गलती की है, जिन्हें हम समझ नहीं पा रहे हैं।

बार में, अभिभावक एवं आश्रित अधिनियम की धारा 25 और धारा 19 के तहत पिता को अभिभावक नियुक्त या घोषित किए जाने तथा अपने नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा प्राप्त करने के अधिकार से संबंधित कई निर्णयों का हवाला दिया गया। वे निर्णय अधिकतर अपने-अपने विशिष्ट तथ्यों के आधार पर दिए गए थे। अतः हमने उन पर विचार करना आवश्यक नहीं समझा। यद्यपि, वे अभिभावक एवं आश्रित अधिनियम की धारा 25 के संबंध में हमारे द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के विरुद्ध हैं, इसलिए उन्हें गलत निर्णय माना जाना चाहिए।

प्रतिवादियों का यह तर्क कि न्यायालय ने तलाक अधिनियम के तहत दो छोटे बच्चों की अभिरक्षा उनकी कम उम्र के आधार पर पत्नी को दी थी, अब मान्य नहीं है और इसलिए उनकी अभिरक्षा उन्हें सौंप दी जानी चाहिए, हमें भ्रामक प्रतीत होता है। बेटी की वर्तमान आयु ऐसी है कि उसे घर में एक ऐसी वयस्क महिला की निरंतर संगति की आवश्यकता है जो वास्तव में उसके कल्याण में रुचि रखती हो। इन परिस्थितियों में उसकी माँ ही उसके लिए सबसे अच्छी संगति है। बेटी को कई महत्वपूर्ण मामलों में अपनी माँ की सलाह और मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी...”

बच्चे के कल्याण को सर्वोपरि मानते हुए, हमारा मत है कि बच्चे के हित और कल्याण की सर्वोत्तम सेवा उसे घर के प्रभाव से दूर रखकर और उसे बोर्डिंग स्कूल में ही रहने का निर्देश देकर की जाएगी। यह निर्विवाद है कि पंचगनी स्थित किमिन्स बोर्डिंग स्कूल, जिसमें बच्चे का प्रवेश कराया गया है, एक अच्छा संस्थान है।

* * *

36. बच्चे की अभिरक्षा का प्रश्न अनिवार्य रूप से केवल बच्चे के कल्याण के दृष्टिकोण से ही विचारणीय है। हमारे इस निष्कर्ष के मद्देनजर कि इस मामले में बच्चे को घर के तनावपूर्ण और चिंताजनक वातावरण से दूर बोर्डिंग स्कूल में रखना ही उसके सर्वोत्तम हित में होगा, अभिरक्षा के प्रश्न का मूल्यांकन इसी पृष्ठभूमि में किया जाना चाहिए। इस स्थिति में, माता-पिता में से किसी की भी योग्यता के गुण-दोष पर विचार करना हमारे लिए

आवश्यक नहीं रह जाता। जिस व्यक्ति को बच्चे की अभिरक्षा सौंपी जाएगी, वह बच्चे के सभी शुल्कों और खर्चों के भुगतान के लिए और बच्चे के स्कूली जीवन से संबंधित किसी भी मामले के लिए स्कूल के प्रति उत्तरदायी होगा। यह स्पष्ट है कि पिता बच्चे को बोर्डिंग संस्थान में रखने के इच्छुक नहीं हैं। यदि अभिरक्षा उन्हें सौंप दी जाती है, तो बच्चे को बोर्डिंग संस्थान में रखने की अनिच्छा के कारण पिता शुल्क का भुगतान न करके या अन्य किसी प्रकार से बच्चे के लिए संस्थान में रहने में कठिनाई उत्पन्न कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा है, पिता अपनी बेटी पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने और उसे अपने घर में अपने साथ रखने के विचार से ग्रस्त है। यह निर्विवाद है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि माँ अपनी बेटी से बहुत स्नेह करती है और बेटी भी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है। माँ के हृदय में बेटी का कल्याण है और बेटी के सर्वोत्तम हित के लिए वह कोई भी आवश्यक बलिदान करने को तैयार है। बेटी के कल्याण के लिए माता ने काफी खर्च करके उसे पंचगनी के किम्विंस बोर्डिंग स्कूल में दाखिला दिलाया है, जो एक प्रतिष्ठित संस्थान माना जाता है। वह बेटी के स्कूल के सभी खर्चों का वहन करती आ रही हैं। उनकी आय स्थिर है जिससे वे बेटी के स्कूल के सभी खर्चों को वहन करने में सक्षम हैं। माता को बेटी के प्रति कोई आसक्ति नहीं है और वह चाहती हैं कि उनकी बेटी स्वस्थ और सामान्य जीवन जिए, जो उसके उचित विकास के लिए आवश्यक है। माता चाहती हैं कि बच्ची बोर्डिंग स्कूल में ही रहे। लगभग 11 वर्ष की हो चुकी बेटी अब उस उम्र में पहुंच रही है जब उसे अपनी माता के मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। इसलिए, हमारा मत है कि बेटी की अभिरक्षा माता को दी जानी चाहिए। श्री देसाई का यह तर्क कि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से इस आधार पर कि माता कामकाजी महिला हैं, बेटी की अभिरक्षा माता को देने से इनकार करके गलती की है, निराधार नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय इस मामले में घर के प्रभाव को ठीक से समझने में विफल रहा है, जिसने बच्ची के स्वस्थ विकास को बहुत नुकसान पहुंचाया है और उसे लगभग मानसिक रूप से विक्षिप्त कर दिया है। श्री भंडारे का यह तर्क कि बच्ची को किसी भी हालत में अपने भाई की संगति की आवश्यकता है, जिससे वह बहुत गहराई से जुड़ी हुई है, हमें प्रभावित नहीं करता है। बच्ची अपने पिता के साथ घर पर रह रही थी और अपने भाई की संगति का आनंद ले रही थी। हालांकि, ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि घर के प्रभाव, जिसमें भाई का प्रभाव भी शामिल है, ने उसे कोई लाभ पहुंचाया है। जैसा कि हमने पहले ही उल्लेख किया है, घर के प्रभाव ने उसे लगभग मानसिक रूप से विक्षिप्त बना दिया है। इसके अलावा, यह भी एक तथ्य है कि भाई अब बड़ा हो गया है और हो सकता है कि वह बच्ची को संगति देने के लिए घर पर न हो। अपील की सुनवाई के समय हमें बताया गया था कि भाई सी कैडेट के रूप में सीलोन में था और जल्द ही लौटने की संभावना थी। हम यह भी जोड़ना चाहेंगे कि इस न्यायालय द्वारा पहले ही दिए गए निर्देशों के अनुसार, भाई को नाबालिग से मिलने के सभी आवश्यक और उचित अवसर दिए गए हैं।

67. सर्वोच्च न्यायालय ने **शेओली हाटी** (उपरोक्त) मामले में निम्नलिखित निर्णय दिया:-

“15. इससे पहले कि हम अपना निर्णय समाप्त करें, हमारे समक्ष उठे मुद्दों पर कुछ टिप्पणियाँ करना आवश्यक है। यह एक ऐसा मामला है, जहाँ बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में शिक्षा देने या उसकी शिक्षा संबंधी यथास्थिति बनाए रखने के संबंध में सीमित मुद्दा उठा है, जैसा कि पारिवारिक न्यायालय द्वारा दिनांक 31-3-2016 को पारित आदेश की तिथि पर था। जब बच्चे को ऐसे वातावरण में जाना पड़ता है, जहाँ उसके माता-पिता के बीच वैवाहिक कलह है, जिससे माता-पिता और बच्चों सहित सभी की

मानसिक शांति प्रभावित होती है, तो बच्चा शारीरिक और मानसिक कष्ट झेलता है। माता-पिता के बीच कलह के बुरे परिणाम बच्चे के सामान्य पालन-पोषण को प्रभावित करते हैं और बच्चे के व्यक्तित्व और परवरिश पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इस न्यायालय ने विवेक सिंह बनाम रोमानी सिंह [विवेक सिंह बनाम रोमानी सिंह, (2017) 3 एससीसी 231 : (2017) 2 एससीसी (सिविल) 1] मामले में "अभिभावक अलगाव सिंड्रोम" शब्द पर चर्चा की है। निर्णय के पैरा 18 में निम्नलिखित टिप्पणी की गई थी: (एससीसी पृष्ठ 245)

18. मनोवैज्ञानिक इसे "अभिभावक अलगाव सिंड्रोम" कहते हैं। इसके कम से कम दो मनोवैज्ञानिक विनाशकारी प्रभाव हैं:

(i) पहला, यह बच्चे को निष्ठा की लड़ाई के बीच में डाल देता है, एक ऐसी लड़ाई जिसे जीतना असंभव है। बच्चे से पूछा जाता है कि वह किस माता-पिता को प्राथमिकता देता है। चाहे जो भी चुनाव हो, बच्चे को अंततः अत्यंत अपराधबोध और भ्रम की स्थिति का सामना करना पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकांश मामलों में, बच्चा जो चाहता है और जिसकी उसे आवश्यकता है, वह प्रत्येक माता-पिता के साथ उनके आपसी संघर्षों से यथासंभव स्वतंत्र संबंध बनाए रखना है।

(ii) दूसरा, बच्चे को वास्तविकता का आकलन करने के तरीके में बदलाव करना पड़ता है। एक अभिभावक को सभी समस्याओं के लिए पूरी तरह से दोषी ठहराया जाता है, और उसे किसी भी सकारात्मक गुण से रहित दिखाया जाता है। ये दोनों ही दावे एक अभिभावक द्वारा वास्तविकता के विकृत रूप को दर्शाते हैं।

16. उपरोक्त मामले में भी पिता और माता के बीच कड़वी लड़ाई हुई थी। पारिवारिक न्यायालय ने प्रतिवादी माता की अभिरक्षा याचिका खारिज करते हुए नाबालिग बच्ची की अभिरक्षा पिता को सौंप दी। उच्च न्यायालय ने अपील पर [रोमानी सिंह बनाम विवेक सिंह, 2013 एससीसी ऑनलाइन डेल 1264 : (2013) 136 डीआरजे 675] बच्चे की अभिरक्षा माता के पक्ष में दी। उच्च न्यायालय के आदेश से असंतुष्ट होकर पिता ने अपील दायर की, जिसके संदर्भ में इस न्यायालय ने उपरोक्त टिप्पणियां कीं। माता-पिता के बीच आपसी नकारात्मक भावना से उत्पन्न कलह का बच्चे पर स्वाभाविक प्रभाव पड़ता है, जो बच्चे के सामान्य विकास में बाधा डालता है।

17. यह सर्वविदित है कि बच्चे की अभिरक्षा या उससे संबंधित अन्य मुद्दों पर निर्णय लेते समय बच्चे का कल्याण सर्वोपरि होता है। इस न्यायालय ने गौरव नागपाल बनाम सुमेधा नागपाल मामले में (2009) 1 एससीसी 42 : (2009) 1 एससीसी (सिविल) 1) बच्चे की अभिरक्षा और मुलाकात के अधिकारों के निर्धारण के लिए मापदंडों पर विचार किया था और इस विषय पर संपूर्ण कानून की समीक्षा की थी। इस न्यायालय ने अंग्रेजी कानून, अमेरिकी कानून, अभिभावक एवं आश्रित अधिनियम, 1890 के वैधानिक प्रावधानों और हिंदू अल्पसंख्यक एवं अभिभावक अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का हवाला देते हुए पैरा 43, 44, 45, 46 और 51 में निम्नलिखित बातें कही थीं: (एससीसी पृष्ठ 55-57)

“43. नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा से संबंधित सिद्धांत सर्वमान्य हैं। यह तय करते समय कि नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा किसे दी जानी चाहिए, सर्वोपरि विचारणीय विषय 'बच्चे का कल्याण' है, न कि उस समय लागू किसी कानून के तहत माता-पिता के अधिकार।

44. उपर्युक्त वैधानिक प्रावधानों पर भारत में कई मामलों में न्यायालयों के समक्ष विचार किया गया। आइए कुछ ऐसे निर्णयों पर विचार करें जिनमें न्यायालयों ने नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा प्रदान करने से संबंधित सिद्धांतों को लागू करते हुए उनके हित और कल्याण को सर्वोपरि माना है।

45. सरस्वतीबाई श्रीपाद वड़ बनाम श्रीपाद वासनजी वड़ [सरस्वतीबाई श्रीपाद वड़ बनाम श्रीपाद वासनजी वड़, 1940 एससीसी ऑनलाइन बॉम्बे 77 : आईएलआर 1941 बॉम्बे 455 : एआईआर 1941 बॉम्बे 103] मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा: (एससीसी ऑनलाइन बॉम्बे)

‘...अदालत के लिए सर्वोपरि विचारणीय विषय न तो पिता का कल्याण है और न ही माता का कल्याण। सर्वोपरि विचारणीय विषय केवल नाबालिग का कल्याण है...।’

46. रोजी जैकब बनाम जैकब ए. चक्रमक्कल [रोजी जैकब बनाम जैकब ए. चक्रमक्कल, (1973) 1 एससीसी 840] मामले में, इस न्यायालय ने माना कि 1890 अधिनियम का उद्देश्य केवल नाबालिग की शारीरिक अभिरक्षा नहीं है, बल्कि उसके स्वास्थ्य, भरण-पोषण और शिक्षा के अधिकारों की उचित सुरक्षा भी है। अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय की शक्ति और कर्तव्य नाबालिग का कल्याण है। नाबालिग के कल्याण के प्रश्न पर विचार करते समय, पिता के प्राकृतिक अभिभावक के अधिकार को ध्यान में रखना आवश्यक है, लेकिन यदि पिता की अभिरक्षा बच्चों के कल्याण को बढ़ावा नहीं दे सकती, तो उसे ऐसी अभिरक्षा देने से इनकार किया जा सकता है।

* * *

51. अधिनियम की धारा 13 में प्रयुक्त शब्द "कल्याण" का शाब्दिक अर्थ निकाला जाना चाहिए और इसे व्यापकतम अर्थ में लिया जाना चाहिए। न्यायालय को बच्चे के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ उसके नैतिक और सामाजिक कल्याण पर भी विचार करना चाहिए। यद्यपि माता-पिता या अभिभावकों के अधिकारों को नियंत्रित करने वाले विशेष कानूनों के प्रावधानों पर विचार किया जा सकता है, फिर भी ऐसे मामलों में न्यायालय द्वारा अपने अभिभावकीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में कोई बाधा नहीं है।”

(मूल रूप से जोर दिया गया)

* * *

20. उपरोक्त मामले में, बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने की अनुमति दी गई थी। हम इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय पर ध्यान देते हैं, जो नूतन गौतम बनाम प्रकाश गौतम [नूतन गौतम बनाम प्रकाश गौतम, (2019) 4 एससीसी 734 : (2019) 2 एससीसी (सिविल) 642] से संबंधित है। यह एक ऐसा मामला था जिसमें एक बच्चे की

मां ने उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम अपील में पारित आदेश [नूतन गौतम बनाम प्रकाश गौतम, 2018 एससीसी ऑनलाइन एएलएल 4517], [नूतन गौतम बनाम प्रकाश गौतम, 2018 एससीसी ऑनलाइन एएलएल 4518] के विरुद्ध अपील दायर की थी। पति की तलाक याचिका को एकतरफा रूप से स्वीकार करते हुए अवर न्यायालय ने नाबालिग बेटे को नई दिल्ली के एक बोर्डिंग स्कूल में भर्ती कराने का निर्देश दिया था। अवर न्यायालय द्वारा पारित एकतरफा आदेश को मां ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, और यह मामला उच्च न्यायालय में लंबित था। उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश द्वारा पिता को बच्चे को बोर्डिंग स्कूल ले जाने की अनुमति दी थी। उक्त अंतरिम आदेश को इस न्यायालय में चुनौती दी गई थी। इस न्यायालय ने लड़के से बातचीत की और पाया कि मामले के तथ्यों के आधार पर बच्चे को बोर्डिंग स्कूल जाने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय ने बच्चे के हित में उसे शाहजहाँपुर स्थित ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल में अपनी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी, जहाँ वह पहले से पढ़ रहा था। बच्चे की अभिरक्षा और शिक्षा से संबंधित प्रत्येक मामले का निर्णय मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है। कोई निश्चित सूत्र नहीं बनाया जा सकता जिसे हर मामले पर लागू किया जा सके। प्रत्येक मामले की उसके अपने तथ्यों के आधार पर जांच की जानी चाहिए।

21. अतः हमारा यह मत है कि बच्चे के हित में क्या है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है और किसी निश्चित सूत्र या नियम का पालन किए बिना, मामले की खूबियों के आधार पर ही तय किया जाना चाहिए। चूंकि अपीलें उच्च न्यायालय में लंबित हैं, हमारा यह मत है कि अपीलों पर अंतिम निर्णय करते समय, उच्च न्यायालय को उन बाद की सामग्रियों पर भी विचार करना चाहिए जो पक्षकारों द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत की जा सकती हैं, जिनमें ऊटी के गुड शेफर्ड इंटरनेशनल स्कूल से बच्चे की प्रगति रिपोर्ट भी शामिल है। विद्वान अधिवक्ता ने बच्चे से संबंधित कुछ चिकित्सा संबंधी मुद्दे भी उठाए हैं। उच्च न्यायालय के लिए उक्त मुद्दों पर निर्णय लेना और यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा रिपोर्ट प्राप्त करना भी संभव है। जहां तक बच्चे से बातचीत का सवाल है, अपीलों की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने पहले ही कई मौकों पर बच्चे से बातचीत की थी और बच्चे से बातचीत के संबंध में निर्णय लेना उच्च न्यायालय का काम है।”

68. सर्वोच्च न्यायालय ने **यशिता साहू** (उपरोक्त) मामले में निम्नलिखित निर्णय दिया:-

“बच्चे का कल्याण - सर्वोपरि विचारणीय है”

20. अनेक निर्णयों द्वारा यह सर्वविदित कानून है कि बच्चे की अभिरक्षा के मामलों का निर्णय करते समय, प्राथमिक और सर्वोपरि विचारणीय मामला बच्चे का कल्याण है। यदि बच्चे का कल्याण ऐसा चाहता है तो तकनीकी आपत्तियां आड़े नहीं आ सकतीं। हालांकि, बच्चे के कल्याण का निर्णय करते समय, केवल एक पति या पत्नी के विचार को ही ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। न्यायालयों को अभिरक्षा के मुद्दे का निर्णय केवल बच्चे के सर्वोत्तम हित के आधार पर ही करना चाहिए।

21. अभिरक्षा विवादों में बच्चा पीड़ित होता है। दो पति-पत्नी के बीच बढ़ते अहंकार और कटुतापूर्ण झगड़ों और मुकदमों में, हमारा अनुभव बताता है कि अक्सर, जो माता-पिता अपने बच्चे से प्यार करते हैं, वे दूसरे को खलनायक के रूप में पेश करते हैं और

कहते हैं कि बच्चे की अभिरक्षा का अधिकार केवल उसी को है। इसलिए न्यायालय को दोनों पति-पत्नी द्वारा कही गई बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

22. एक बच्चे को, विशेषकर कम उम्र के बच्चे को, दोनों माता-पिता के प्यार, स्नेह, साथ और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। यह न केवल बच्चे की आवश्यकता है, बल्कि उसका मूलभूत मानवाधिकार भी है। केवल इसलिए कि माता-पिता आपस में झगड़ रहे हैं, इसका यह अर्थ नहीं है कि बच्चे को किसी भी माता-पिता की देखभाल, स्नेह, प्यार या सुरक्षा से वंचित कर दिया जाए। बच्चा कोई निर्जीव वस्तु नहीं है जिसे एक माता-पिता से दूसरे को सौंपा जा सके। हर अलगाव और हर मिलन बच्चे पर आघातपूर्ण और मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि न्यायालय बच्चे की अभिरक्षा दोनों माता-पिता के बीच किस प्रकार और किस तरह से साझा की जानी चाहिए, इस पर निर्णय लेने से पहले प्रत्येक परिस्थिति का बहुत सावधानीपूर्वक विचार करे। यदि अभिरक्षा एक माता-पिता को दी जाती है, तब भी दूसरे माता-पिता को पर्याप्त मुलाकात के अधिकार मिलने चाहिए ताकि बच्चा दूसरे माता-पिता के संपर्क में रहे और दोनों में से किसी भी माता-पिता के साथ उसका सामाजिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक संपर्क न टूटे। केवल अत्यंत गंभीर परिस्थितियों में ही किसी एक माता-पिता को बच्चे से मिलने से रोका जाना चाहिए। यदि किसी एक माता-पिता को मुलाकात के अधिकार या बच्चे से मिलने से रोका जाता है, तो इसके कारण बताए जाने चाहिए। अभिरक्षा संबंधी मामलों पर विचार करने वाले न्यायालयों को अभिरक्षा संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेते समय मुलाकात के अधिकारों की प्रकृति, तरीका और विशिष्टताओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए।

23. भारत में मुलाकात के अधिकार की अवधारणा अभी पूरी तरह विकसित नहीं है। अधिकांश न्यायालय एक पति या पत्नी को बच्चे की अभिरक्षा देते समय दूसरे पति या पत्नी को मुलाकात के अधिकार देने का कोई आदेश पारित नहीं करते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, बच्चे को दोनों माता-पिता का प्यार और स्नेह पाने का मानवीय अधिकार है और न्यायालयों को यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश पारित करना चाहिए कि बच्चा अपने माता-पिता में से किसी एक के प्यार, स्नेह और साथ से पूरी तरह वंचित न रहे।

24. सामान्यतः, यदि माता-पिता एक ही शहर या क्षेत्र में रहते हैं, तो जिस पति या पत्नी को अभिरक्षा नहीं दी गई है, उसे केवल सप्ताहांतों पर मुलाकात का अधिकार दिया जाता है। यदि पति-पत्नी एक-दूसरे से दूर रहते हैं, तो बार-बार आने-जाने से बच्चे की शिक्षा में बाधा उत्पन्न करना संभव नहीं हो सकता है और न ही यह बच्चे के हित में है। ऐसे मामलों में, जैसे कि वर्तमान मामला, जहाँ माता-पिता दो अलग-अलग महाद्वीपों में हैं, अभिरक्षा से वंचित माता-पिता को अधिकतम मुलाकात के अधिकार देने का प्रयास किया जाना चाहिए।

25. 'मुलाकात के अधिकार' के अलावा, 'संपर्क के अधिकार' भी बच्चे के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, खासकर उन मामलों में जहां दोनों माता-पिता अलग-अलग राज्यों या देशों में रहते हैं। आधुनिक युग में संपर्क के अधिकार का अर्थ टेलीफोन, ईमेल या वास्तव में वीडियो कॉलिंग के माध्यम से संपर्क करना है। इंटरनेट की बढ़ती उपलब्धता के साथ, वीडियो कॉलिंग अब बहुत आम हो गई है और बच्चों की अभिरक्षा के मामलों पर विचार करने वाले न्यायालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस माता-पिता को बच्चे की अभिरक्षा से वंचित किया गया है, वह अपने बच्चे से यथासंभव बार-बार बात कर

सके। जब तक कोई विशेष परिस्थिति न हो जिसके कारण अलग दृष्टिकोण अपनाया जाए, बच्चे की अभिरक्षा से वंचित माता-पिता को प्रतिदिन 5-10 मिनट अपने बच्चे से बात करने का अधिकार होना चाहिए। इससे बच्चे और अभिरक्षा से वंचित माता-पिता के बीच संबंध को बनाए रखने और मजबूत करने में मदद मिलेगी। यदि यह संबंध बना रहता है, तो बच्चे को छुट्टियों या अवकाश के दौरान एक घर से दूसरे घर जाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसका उद्देश्य यह है कि यदि हम बच्चे को दो माता-पिता वाला एक सुखी घर प्रदान नहीं कर सकते, तो बच्चे को एक-एक माता-पिता वाले दो सुखी घरों का लाभ मिले।

69. **एमरू द्विवेदी** (उपरोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से निम्नलिखित निर्णय दिया है:-

“2. हम इस मामले में मुलाकात के अधिकार प्रदान करने के तरीके से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि माता महीने में एक बार दो घंटे के लिए बच्चे से मिल सकती है, वह भी सचिव, जिला विधि सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के कार्यालय में या पक्षों द्वारा आपसी सहमति से तय किए गए स्थान पर, और असहमति की स्थिति में, जिला विधि सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के समक्ष। हालांकि, यह आदेश दिया गया है कि मुलाकात एक सुरक्षित वातावरण में होगी और पक्षों को सौहार्दपूर्ण वातावरण और सुरक्षा प्रदान करना सचिव का कर्तव्य होगा।

3. यशिता साहू बनाम राजस्थान राज्य [यशिता साहू बनाम राजस्थान राज्य, (2020) 3 एससीसी 67 : (2020) 2 एससीसी (सिविल) 39] मामले में, इस न्यायालय ने माना कि बच्चों की अभिरक्षा से संबंधित मामलों में बच्चे का कल्याण सर्वोपरि है। इस संदर्भ में, हम निर्णय के पैरा 22 का उल्लेख कर सकते हैं, जो इस प्रकार है: (एससीसी पृष्ठ 80)

“22. एक बच्चे को, विशेषकर कम उम्र के बच्चे को, दोनों माता-पिता के प्यार, स्नेह, साथ और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। यह न केवल बच्चे की आवश्यकता है, बल्कि उसका मूलभूत मानवाधिकार भी है। केवल इसलिए कि माता-पिता आपस में झगड़ रहे हैं, इसका यह अर्थ नहीं है कि बच्चे को दोनों में से किसी एक माता-पिता की देखभाल, स्नेह, प्यार या सुरक्षा से वंचित कर दिया जाए। बच्चा कोई निर्जीव वस्तु नहीं है जिसे एक माता-पिता से दूसरे माता-पिता को दिया जा सके। प्रत्येक अलगाव, प्रत्येक पुनर्मिलन बच्चे पर आघातपूर्ण और मनोदैहिक प्रभाव डाल सकता है।” इसलिए, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि न्यायालय बच्चे की अभिरक्षा दोनों माता-पिता के बीच किस प्रकार और किन मामलों में साझा की जानी चाहिए, यह तय करने से पहले प्रत्येक परिस्थिति का बहुत सावधानीपूर्वक विचार करे। यदि अभिरक्षा एक माता-पिता को दी जाती है, तब भी दूसरे माता-पिता को पर्याप्त मुलाकात के अधिकार मिलने चाहिए ताकि बच्चा दूसरे माता-पिता के संपर्क में रहे और दोनों में से किसी भी माता-पिता के साथ सामाजिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक संपर्क न खोए। केवल अत्यंत गंभीर परिस्थितियों में ही किसी एक माता-पिता को बच्चे से मिलने से रोका जाना चाहिए। यदि किसी एक माता-पिता को मुलाकात के अधिकार या बच्चे से मिलने से रोका जाता है, तो इसके कारण बताए जाने चाहिए। अभिरक्षा संबंधी मामलों पर विचार करने वाले न्यायालयों को अभिरक्षा संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेते समय मुलाकात के

अधिकारों की प्रकृति, तरीके और विशिष्टताओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए।”

4. जब न्यायालय मुलाकात के अधिकार प्रदान करता है, तो ये अधिकार इस प्रकार प्रदान किए जाने चाहिए कि बच्चा और मुलाकात का अधिकार प्राप्त करने वाला माता-पिता ऐसे वातावरण में मिल सकें जहाँ वे माता-पिता और बच्चे की तरह व्यवहार कर सकें, और यह वातावरण निश्चित रूप से जिला विधि सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में नहीं मिल सकता। यह वातावरण माता-पिता के घर में, किसी पार्क में, किसी रेस्तरां में या किसी अन्य स्थान पर मिल सकता है जहाँ बच्चा और माता-पिता सहज महसूस करते हों।

70. **कर्नल रामनीश पाल सिंह** (उपरोक्त) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया है:-

“8. यह सर्वविदित है कि अधिनियम के अंतर्गत अभिभावकत्व के लिए आवेदन पर निर्णय लेते समय न्यायालय द्वारा अपने पैतृक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए मुख्य विचारणीय बिंदु नाबालिग बच्चों का 'कल्याण' होगा।

* * *

10. इस संदर्भ में, नील रतन कुंडू (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के एक निर्णय का उल्लेख करना उचित होगा, जिसमें नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा से संबंधित मामलों का निर्णय करते समय न्यायालयों द्वारा विचार किए जाने वाले 'कल्याण' के मापदंडों और सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया था। प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे दिए गए हैं:

“52. हमारे मत के अनुसार, बच्चे की अभिरक्षा से संबंधित कानून काफी हद तक स्थापित है और वह यह है: किसी नाबालिग की अभिरक्षा से संबंधित कठिन और जटिल प्रश्न का निर्णय करते समय, न्यायालय को संबंधित कानूनों और उनसे उत्पन्न होने वाले अधिकारों को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन ऐसे मामलों का निर्णय केवल कानूनी प्रावधानों की व्याख्या करके नहीं किया जा सकता है। यह एक मानवीय समस्या है और इसे मानवीय दृष्टिकोण से हल करने की आवश्यकता है। अभिरक्षा मामलों पर विचार करते समय न्यायालय न तो कानूनों से, न ही साक्ष्य या प्रक्रिया के सख्त नियमों से, और न ही पूर्व निर्णयों से बाध्य होता है। किसी नाबालिग के उचित अभिभावक का चयन करते समय, सर्वोपरि विचार बच्चे का कल्याण और भलाई होना चाहिए। अभिभावक का चयन करते समय न्यायालय पितृसत्तात्मक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहा है और उससे यह अपेक्षा की जाती है, बल्कि यह उसका दायित्व है, कि वह बच्चे के सामान्य आराम, संतुष्टि, स्वास्थ्य, शिक्षा, बौद्धिक विकास और अनुकूल परिवेश को उचित महत्व दे। लेकिन भौतिक सुख-सुविधाओं के अलावा, नैतिक और आचार संबंधी मूल्यों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वे समान रूप से, या हम कह सकते हैं, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण, आवश्यक और अपरिहार्य विचारणीय बिंदु हैं। यदि नाबालिग इतनी उम्र का है कि वह विवेकपूर्ण निर्णय ले सके, तो न्यायालय को ऐसे निर्णय पर भी विचार करना चाहिए, यद्यपि अंतिम निर्णय न्यायालय का ही होना चाहिए कि नाबालिग के कल्याण के लिए क्या उपयुक्त है।

* * *

55. हम अवर न्यायालयों के दृष्टिकोण को समझ नहीं पा रहे हैं। इस न्यायालय ने अनेक निर्णयों में यह माना है कि बच्चों की अभिरक्षा का मुख्य आधार बच्चों का कल्याण है, न कि उनके माता-पिता का अधिकार।

56. रोजी जैकब [(1973) 1 एससीसी 840] मामले में इस न्यायालय ने कहा: (एससीसी पृष्ठ 854, पैरा 15)

“15.... यह तर्क कि यदि पति [पिता] अपने नाबालिग बच्चों का अभिभावक बनने के लिए अयोग्य नहीं है, तो उनके कल्याण का प्रश्न ही नहीं उठता, इस बात को कुछ अधिक व्यापक रूप से कहना है और कभी-कभी भ्रामक भी हो सकता है।”

यह भी कहा गया कि पिता की योग्यता का निर्धारण और मूल्यांकन सभी प्रासंगिक परिस्थितियों के संदर्भ में उनके नाबालिग बच्चों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। पिता की योग्यता नाबालिग बच्चों के कल्याण के विचारों को दरकिनार नहीं कर सकती।

57. हमारी राय में, ऐसे मामलों में, यह "नकारात्मक परीक्षण" नहीं है कि पिता अपने पुत्र/पुत्री की अभिरक्षा के लिए "अयोग्य" या अपात्र है, बल्कि यह "सकारात्मक परीक्षण" महत्वपूर्ण है कि ऐसी अभिरक्षा नाबालिग के कल्याण में होगी, और इसी आधार पर न्यायालय को पिता, माता या किसी अन्य अभिभावक के पक्ष में नाबालिग की अभिरक्षा देने या अस्वीकार करने की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए।

11. इसके अतिरिक्त, इस न्यायालय ने गौरव नागपाल (उपरोक्त) मामले में अमेरिकी, अंग्रेजी और भारतीय न्यायक्षेत्रों में अभिरक्षा से संबंधित कानूनों का व्यापक और तुलनात्मक विश्लेषण किया और पाया कि न्यायालय को "कल्याण" शब्द की व्याख्या उसके व्यापक अर्थ में करनी चाहिए, अर्थात् न्यायालय द्वारा विचार में केवल नैतिक और नीतिगत कल्याण ही शामिल नहीं होना चाहिए, बल्कि नाबालिग बच्चों का शारीरिक स्वास्थ्य भी शामिल होना चाहिए।

12. तदनुसार, उपरोक्त के मददेनजर, हमें न केवल समग्र और व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर वर्तमान विवाद का निर्णय करना होगा, जिसमें अन्य बातों के अलावा (i) नाबालिग बच्चों को उपलब्ध कराए जा सकने वाले सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक अवसर; (ii) बच्चों का स्वास्थ्य देखभाल और समग्र कल्याण; (iii) बढ़ते किशोरों के लिए अनुकूल भौतिक वातावरण प्रदान करने की क्षमता शामिल है, बल्कि अधिनियम की धारा 17(3) के तहत अनिवार्य रूप से नाबालिग बच्चों की प्राथमिकताओं को भी ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा, हम इस बात से भी पूरी तरह अवगत हैं कि नाबालिग बच्चों के परिवेश की स्थिरता भी एक ऐसा पहलू है जिस पर उचित रूप से विचार किया जाना चाहिए।

* * *

21. माता-पिता से अलगाव के आरोपों के संबंध में न्यायालय की भूमिका पर हाल ही में एक अंग्रेजी न्यायालय, अर्थात् उच्च न्यायालय के परिवार प्रभाग ने री सी ("माता-पिता से अलगाव"; विशेषज्ञ का निर्देश), [2023] ईडब्ल्यूएचसी 345 (फैमिली) में विचार किया था। विशेष रूप से, न्यायालय ने पीएस (पेरेंटल एलिनेशन) से संबंधित बदलते दृष्टिकोण पर विचार किया - जिसे एक विशेषज्ञ संस्था, यानी एसोसिएशन ऑफ

क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट्स - यूके ("एसीपी") द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था - और उसके बाद निम्नलिखित टिप्पणी की:

"103. अपील के इस भाग को समाप्त करने से पहले, एसीपी के संक्षिप्त तर्क के एक विशेष पैरा को व्यापक रूप से समझना और, मैं दृढ़तापूर्वक आग्रह करता हूँ, स्वीकार करना आवश्यक है:

‘घरेलू हिंसा के आरोप की तरह ही; यह निर्णय कि क्या किसी माता-पिता ने बच्चे को अलग-थलग किया है या नहीं, न्यायालय द्वारा हल किया जाने वाला एक तथ्यात्मक प्रश्न है, न कि कोई निदान जो किसी मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया जा सकता है या दिया जाना चाहिए। इन उद्देश्यों के लिए, एसीपी-यूके इस बात पर जोर देना चाहता है कि "माता-पिता द्वारा अलगाव" एक ऐसा सिंड्रोम नहीं है जिसका निदान किया जा सके, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक माता-पिता दूसरे के खिलाफ बच्चों को "अलगावकारी व्यवहार" के माध्यम से हेरफेर करते हैं। यह मूल रूप से एक तथ्यात्मक प्रश्न है।’

इस फैसले का उद्देश्य अलगाव के विषय पर और अधिक चर्चा करना नहीं है। अधिकांश पारिवारिक न्यायाधीशों ने कुछ समय से "माता-पिता द्वारा अलगाव" की परिभाषा और इस नाम से निदान योग्य सिंड्रोम होने के सुझाव को अनुपयोगी माना है। घरेलू हिंसा की तरह ही, महत्वपूर्ण यह है कि अदालत के समक्ष किसी परिवार में कौन सा विशिष्ट व्यवहार हुआ है और उस व्यवहार का बच्चे के अपने माता-पिता में से किसी एक या दोनों के साथ संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा है। इस संदर्भ में, अदालत का ध्यान "अलगावकारी व्यवहार" की पहचान पर होना चाहिए, न कि यह निर्धारित करने पर कि क्या "माता-पिता द्वारा अलगाव" की परिभाषा लागू की जा सकती है।”

22. हम उपरोक्त स्थिति से सहमत हैं। अदालतों को समय से पहले और "अलगावकारी व्यवहार" के व्यक्तिगत उदाहरणों की पहचान किए बिना, किसी भी माता-पिता को ऐसे व्यवहार का प्रवर्तक और/या संभावित प्रमोटर नहीं करार देना चाहिए। उपर्युक्त लेबल के दूरगामी निहितार्थ हैं जिन्हें किसी एक अभिभावक पर नियमित रूप से आरोपित नहीं किया जाना चाहिए।

23. तदनुसार, हमारा यह सुविचारित मत है कि न्यायालयों को नाबालिग बच्चों द्वारा व्यक्त की गई प्राथमिकता को दूर करने के लिए अभिभावक अलगाव के सिद्धांत को लागू करने हेतु "अलगावकारी व्यवहार" के व्यक्तिगत उदाहरणों की पहचान करने का प्रयास करना चाहिए।

24. इस अपील में, पारिवारिक न्यायालय ने स्पष्ट रूप से दर्ज किया है कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि अपीलकर्ता के साथ रहने के दौरान नाबालिग बच्चों के हितों और कल्याण पर किसी भी तरह से कोई प्रभाव पड़ा हो। इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधीश ने 24.02.2020 को, यानी 8.08.2015 की कथित घटना के लगभग साढ़े चार वर्ष बाद, नाबालिग बच्चों से बातचीत की और स्पष्ट रूप से दर्ज किया कि नाबालिग बच्चों ने अपने माता-पिता के बीच कोई स्पष्ट वरीयता व्यक्त नहीं की। माननीय एकल न्यायाधीश की उपरोक्त टिप्पणी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रेखांकित करती है कि यद्यपि पक्षों के बीच संबंध तनावपूर्ण रहे हों; नाबालिग बच्चों ने 'माता-पिता से अलगाव' का कोई

संकेत नहीं दिया, अर्थात् नाबालिग बच्चों ने माता-पिता के बीच कोई स्पष्ट वरीयता व्यक्त नहीं की और इस प्रकार, माता-पिता से अलगाव के किसी भी दावे का कोई आधार स्पष्ट रूप से अनुपस्थित था। उपरोक्त स्थिति रिकॉर्ड में मौजूद सामग्रियों से भी समर्थित है, जो यह दर्शाती हैं कि (i) नाबालिग बच्चे पक्षों के बीच चल रहे आरोप-प्रत्यारोप के खेल से अवगत और सचेत हैं; और (ii) नाबालिग बच्चों ने प्रतिवादी के प्रति अनियंत्रित और पूर्वाग्रही भावनाएँ नहीं पालीं। तदनुसार, हम पाते हैं कि अपीलकर्ता पर प्रतिवादी द्वारा लगाए गए आरोप के अनुसार "अलगाववादी व्यवहार" में संलग्न होने या उसे बढ़ावा देने का आरोप नहीं लगाया जा सकता है।"

71. उपरोक्त निर्णयों पर विचार करने और प्रस्तुत दलीलों की सत्यता का परीक्षण करने के उद्देश्य से अंतर्निहित सिद्धांतों को लागू करने के बाद, प्रश्न यह होगा कि यदि किसी भी पक्ष द्वारा मुलाकात के अधिकारों के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या बच्चे की अभिरक्षा माता से पिता को सौंपना उचित होगा या वैकल्पिक रूप से बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में रखना उचित होगा।

72. बच्चे के कल्याण को सर्वोपरि मानते हुए और इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि जन्म से ही बच्चा माँ के साथ रहा है, सिवाय उस अवधि के जब उसे 07.07.2020 को माँ की अभिरक्षा से ले लिया गया था और 06.01.2022 तक, जब बच्चे की अभिरक्षा उसकी माँ को वापस सौंप दी गई थी।

73. लगभग पिछले चार वर्षों से बेटा अपनी माँ के साथ है और उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया है। रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री से पता चलता है कि बच्चा शहर के अच्छे संस्थानों में से एक में शिक्षा प्राप्त कर रहा है। रिकॉर्ड में प्रस्तुत प्रगति कार्ड के अनुसार, बच्चा शैक्षणिक और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों दोनों में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। बच्चा अपनी माँ के साथ सहज है और रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे प्रथम दृष्टया यह संकेत मिले कि माँ और बेटे के घर का माहौल ऐसा है जिसका बच्चे या उसके पालन-पोषण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह पता चले कि बच्चा अपनी माँ के साथ रहते हुए तनाव या बेचैनी के लक्षण दिखा रहा है।

74. यदि यह ऐसा मामला होता जहाँ पति-पत्नी साथ रह रहे होते और उनके बीच झगड़े होते जिसके कारण घर का माहौल बच्चे के लिए हानिकारक और कष्टदायक हो गया होता, तो शायद यह पता लगाया जा सकता था कि बच्चे की अभिरक्षा या उसे बोर्डिंग स्कूल में भेजने के संबंध में न्यायालय के आदेश में परिवर्तन/संशोधन करना उचित है या नहीं।

75. जहाँ तक पति-पत्नी की आर्थिक स्थिति का सवाल है, भले ही पिता, माता की तुलना में आर्थिक रूप से अधिक सक्षम हों, जैसा कि पिता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने सुझाव दिया है, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि माता या उनका परिवार बच्चे की देखभाल और पालन-पोषण सम्मानजनक और सभ्य तरीके से करने में आर्थिक रूप से असमर्थ है। बच्चा एक अच्छे संस्थान में शिक्षा प्राप्त कर रहा है और अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, और ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि बच्चे को उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य और पालन-पोषण से संबंधित किसी भी आवश्यक सुविधा या लाभ से वंचित किया जा रहा है, जिसका कारण केवल माता की आर्थिक तंगी हो।

76. बच्चा इस समय लगभग 7 वर्ष का है और इस स्तर पर, जब रिकॉर्ड में ऐसी कोई विशेष परिस्थितियाँ दर्ज नहीं हैं जो यह संकेत दे सकें कि बच्चा अपनी माँ के साथ एक विषाक्त वातावरण में रह रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में बच्चे को उसकी माँ से अलग करना और पिता को बच्चे की अभिरक्षा देना उचित नहीं होगा, विशेष रूप से तब जब बच्चा एक जीवनशैली का आदी हो चुका है, स्कूल जाता है, उसके दोस्त हैं और वह अपने आरामदायक परिवेश में पला-बढ़ा है।

77. अतः, अभिरक्षा में परिवर्तन के मुद्दे के संबंध में, यह न्यायालय तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि अभिरक्षा माँ के पास वैध मानी गई है, इस मामले पर विचार करता है। इस पहलू पर सर्वोच्च न्यायालय पहले ही ध्यान दे चुका है और इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने भी पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या 353/2022 में इस पर विचार किया था, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण की मांग की गई थी। यह याचिका उच्च न्यायालय द्वारा 20.10.2022 को खारिज कर दी गई थी और इस आदेश को चुनौती नहीं दी गई थी और समय के साथ यह आदेश अंतिम हो गया है। इसके अलावा, यह भी निर्विवाद है कि पिता ने पहले ही अभिभावक एवं आश्रित अधिनियम, 1890 के तहत एक याचिका दायर की है, जिस पर संबंधित अवर न्यायालय का ध्यान है। उपरोक्त परिस्थितियों में, इस न्यायालय को इस स्तर पर ऐसी कोई अत्यावश्यक या महत्वपूर्ण परिस्थितियाँ नहीं दिखती हैं, जिनके कारण बच्चे को माता की देखरेख और अभिरक्षा से हटाकर पिता को सौंपने के लिए तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता हो।

78. यह स्पष्ट किया जाता है कि केवल इस न्यायालय द्वारा इस इंट्रा-कोर्ट अपील में बच्चे की अभिरक्षा में परिवर्तन का आदेश पारित करना उचित न समझने का अर्थ यह नहीं है कि यह विवाद के गुण-दोष पर राय की अभिव्यक्ति है, क्योंकि पक्षों को संबंधित पारिवारिक न्यायालय के

समक्ष कानून में उपलब्ध सभी दलीलें उठाने की स्वतंत्रता होगी, जो प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में इन पर सख्ती से ध्यान देगा और कानून के अनुसार अभिरक्षा के संबंध में उचित आदेश पारित करेगा।

79. अब बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में भेजने से संबंधित दूसरे मुद्दे पर विचार करते हैं। यह एक पेचीदा मुद्दा है, जो मुख्य रूप से तथ्यों पर निर्भर करता है और इसका कोई सीधा जवाब नहीं हो सकता। इस मामले में, बच्चा अपनी माँ के साथ रहा है और यद्यपि ऊपर बताए गए कारणों और परिस्थितियों के चलते कुछ सीमित समय के लिए पिता के साथ भी रहा, लेकिन न्यायालय के हस्तक्षेप से ही उसकी अभिरक्षा माँ को सौंपी गई है। जाहिर तौर पर, बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है, वहाँ वह सहज है और ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह पता चले कि बच्चा मानसिक रूप से तैयार है या भावनात्मक रूप से इतना मजबूत है कि वह बोर्डिंग स्कूल में, यानी दूर किसी स्थान पर, अपनी माँ के बिना रह सके।

80. न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि विवादित दंपति के बीच कानूनी लड़ाई में बच्चे का इस्तेमाल हथियार के रूप में न किया जाए और न ही उसे पीड़ित बनाया जाए। बच्चे को बोर्डिंग स्कूल भेजना कोई सीधा-सादा समाधान नहीं हो सकता। यह आकलन करने के लिए बच्चे का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करना आवश्यक है कि क्या बच्चे को उसकी माँ की अभिरक्षा से हटाकर बोर्डिंग स्कूल में भेजना आवश्यक है। इस तरह का निर्णय लेने से पहले बच्चे की प्रतिक्रिया पर विचार करना महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश, इस मामले के इस पहलू पर प्रकाश डालने वाला कोई भी दस्तावेजी प्रमाण मौजूद नहीं है और किसी विशेषज्ञ की रिपोर्ट के अभाव में, यह न्यायालय केवल पिता के अनुरोध पर या पिता के पक्ष में पहले से पारित मुलाकात आदेश के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए कोई निर्णय नहीं लेगा। किसी पेशेवर मूल्यांकन, विशेषज्ञ रिपोर्ट या विशिष्ट परिस्थितियों के अभाव में, यह न्यायालय पुत्र को बोर्डिंग स्कूल भेजने का आदेश नहीं दे सकता।

81. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, मूल याचिका पहले से ही लखनऊ पारिवारिक न्यायालय में लंबित है, इसलिए पक्षकारों के लिए यह स्वतंत्रता होगी कि वे ऐसी विशेषज्ञ रिपोर्ट या सामग्री प्रस्तुत करें जिससे यह स्पष्ट हो सके कि बच्चे को बोर्डिंग स्कूल भेजना व्यवहार्य और उसके हित में होगा या नहीं। अतः, यह न्यायालय इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं दे रहा है और एक बार फिर दोहराता है कि यद्यपि इस न्यायालय ने बच्चे को बोर्डिंग स्कूल भेजने की अनुमति देने वाला आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है, इसका यह अर्थ नहीं है कि संबंधित पारिवारिक

न्यायालय साक्ष्यों के आलोक में और कानून के अनुसार इस पर विचार नहीं करेगा। संबंधित पारिवारिक न्यायालय के लिए यह भी खुला रहेगा कि वह इस बात की जांच करे कि क्या बच्चे के लिए अपनी छुट्टियां दोनों माता-पिता के साथ साझा करना व्यवहार्य और उसके हित में होगा, ताकि प्रत्येक माता-पिता को बच्चे के साथ समय बिताने और भावनात्मक बंधन को मजबूत करने का अवसर मिल सके।

82. इस संबंध में, पारिवारिक न्यायालय को, जहाँ मूल कार्यवाही लंबित है, पक्षों के बीच मामले पर शीघ्रता से विचार करने और अभिभावक एवं आश्रित अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा संख्या 385/2020 को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया जाता है। पक्षों को शीघ्र सुनवाई में सहयोग करने का भी निर्देश दिया जाता है और यदि कोई पक्ष इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो पारिवारिक न्यायालय कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

83. उपरोक्त चर्चाओं के आलोक में और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 06.01.2022 को पारित आदेश और दिनांक 07.04.2023 को पारित दूसरे आदेश, जिसमें पूर्ववर्ती मुलाकात आदेश को संशोधित किया गया था, को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय पाता है कि दोनों में बहुत कम अंतर है और दोनों आदेशों के बीच के अंतरों को एक संक्षिप्त अवलोकन के रूप में निम्नलिखित चार्ट के रूप में दर्शाया गया है:-

प्रथम आदेश दिनांक 06.01.2022		द्वितीय आदेश दिनांक 07.04.2023
(क)	साप्ताहिक रविवार को मुलाकात	मौसम के अनुसार, समयबद्ध
(ख)	स्थान - केवल घर	स्थान - घर और आस-पड़ोस के क्षेत्र (क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, अलीगंज) में भ्रमण सहित
(ग)	समय - सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक	ग्रीष्मकालीन - सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक (घर पर मुलाकात) शाम - शाम 5:00 बजे से 7:30 बजे तक बाहर मुलाकात (घर पर 7:30 बजे से पहले) शीतकालीन - सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक (घर पर 1:30 बजे से पहले), बाहर मुलाकात शाम 5:00 बजे से 7:30 बजे तक (घर पर मुलाकात)
(घ)	दादा-दादी की मुलाकात शामिल नहीं है	दादा-दादी हर चौथे रविवार को बच्चे से मिलने आ सकते हैं - 5 किमी के दायरे में बाहर
(ई)	फोन/वीडियो कॉल के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है	कम से कम 10 मिनट अनिवार्य

84. उपरोक्त दोनों आदेशों पर विचार करने और किए गए संशोधन को देखते हुए, न्यायालय पाता है कि जहां दिनांक 06.01.2022 का मूल आदेश, जो कि वैसे तो एक सशक्त आदेश है, लेकिन लागू नहीं किया जा सका, ऐसी परिस्थितियों में उक्त आदेश को संशोधित करने का कोई कारण नहीं था, खासकर तब जब पूर्ववर्ती आदेश का ही उचित रूप से पालन नहीं किया जा रहा था। सतही बदलाव करके और दादा-दादी को बच्चे से मिलने का अधिकार शामिल करना आवश्यक नहीं था, जबकि मूल आदेश में दादा-दादी को प्रतिबंधित नहीं किया गया था।

85. दी गई परिस्थितियों में, न्यायालय पाता है कि दिनांक 06.01.2022 का आदेश पिता के मुलाकात के अधिकारों की रक्षा के लिए पर्याप्त था। अतः, न्यायालय पिता के मुलाकात के अधिकारों के संबंध में दिनांक 06.01.2022 के आदेश में परिवर्तन करना उचित नहीं समझता है। दोनों पक्ष इसका पालन करेंगे और न्यायालय आशा व्यक्त करता है कि विवाद करने वाले पक्ष अपने पुत्र के कल्याण और सर्वोत्तम हित के लिए हठधर्मी रवैया नहीं अपनाएंगे, बल्कि बच्चे को उसके दोनों माता-पिता का प्यार और स्नेह प्राप्त करने दिया जाएगा।

86. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में तथा उपरोक्त निर्देशों के आलोक में, सभी लंबित आवेदनों का निस्तारण किया जाता है और दोनों इंट्रा-कोर्ट अपीलों का भी उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के आलोक में निस्तारण किया जाता है। दोनों पक्ष अपने-अपने खर्चों का वहन करेंगे।

(माननीय न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह) (माननीय मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली)

21 जनवरी, 2026

राकेश/अंक